वार्षिक प्रतिवेदन (भाग - I)

**2020-21**

सिडबी

# लघु इकाइयों के सशक्तिकरण द्वारा

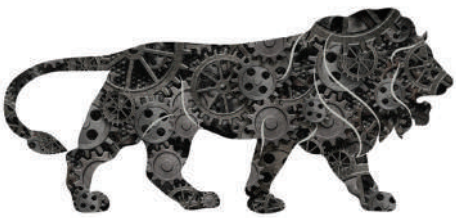

# आत्मनिर्भर भारत का निर्माण

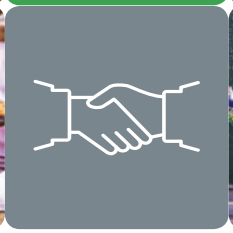
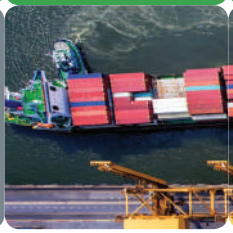
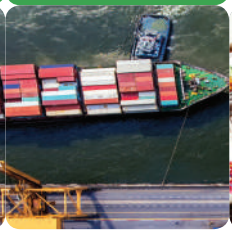

# प्रगति का संक्षिप्त विवरण

(₹ करोड़)

| यथा 31 मार्च | 1991 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल आस्तियाँ | 5,309.19 | 79,682.33 | 1,08,869.45 | 1,55,860.83 | 1,87,538.98 | 1,92,322.44 |
| बकाया संविभाग | 5,176.8 | 68,289.6 | 95,290.7 | 1,36,230.37 | 1,65,421.56 | 1,56,232.79 |
| पूँजी - अधिकृत | 500.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| - प्रदत | 450.0 | 531.92 | 531.92 | 531.92 | 531.92 | 531.92 |
| आरक्षितियाँ एवं निधियाँ | 44.9 | 13,069.5 | 14,359.98 | 16,153.16 | 18,465.54 | 20,756.28 |
| कुल आय (प्रावधान-पश्चात्) | 425.1 | 6,266.5 | 6,555.73 | 9,918.86 | 11,137.32 | 10,250.38 |
| निवल लाभ | 35.6 | 1,120.2 | 1,429.2 | 1,952.21 | 2,314.52 | 2,398.27 |
| शेयरधारकों को लाभांश | 5.0 | 93.9 | 137.7 | 165.12 | 0 | 16.38 |
| औसत बकाया संविभाग पर प्रतिलाभ (%) | 0.7 | 2.5 | 2.56 | 2.06 | 1.89 | 2.03 |
| निवल बकाया संविभाग के प्रतिशत के रूप में मानक आस्तियाँ | 100 | 99.56 | 99.74 | 99.79 | 99.60 | 99.88 |
| पूँजी व जोखिम आस्ति का अनुपात (%) | 13.9 | 28.42 | 26.73 | 27.11 | 26.62 | 27.49 |

# वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़)

| विवरण | बकाया राशि यथा 31 मार्च, 2020 | बकाया राशि यथा 31 मार्च, 2021 |
|---|---|---|
| **I. अप्रत्यक्ष ऋण** | | |
| क. बैंकों, लघु वित्त बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त | 1,43,232.64 | 1,31,664.02 |
| ख. अल्पवित्त संस्थाओं को सहायता | 1,821.0 | 1,672.32 |
| ग. गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों को सहायता | 10,374.97 | 11,292.14 |
| **कुल अप्रत्यक्ष ऋण** | 1,55,428.61 | 1,44,628.48 |
| **II. प्रत्यक्ष ऋण** | | |
| क. ऋण एवं अग्रिम | 9,866.91 | 11,581.08 |
| ख. प्राप्य वित्त योजना एवं बिल भुनाई | 126.03 | 23.22 |
| **कुल प्रत्यक्ष ऋण** | 9,992.94 | 11,604.31 |
| **महायोग** | 1,65,421.56 | 1,56,232.79 |

हमारी रिपोर्ट ऑनलाइन देखने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें :
**www.sidbi.in**

# प्रेषण पत्र

22 जुलाई, 2021

सचिव,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली

महोदय,

**सिडबी के वित्तीय वर्ष 2020-21 के काम-काज संबंधी वार्षिक लेखे तथा निदेशक मण्डल की रिपोर्ट**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 की धारा 30(5) के प्रावधानों के अनुसार हम निम्नलिखित दस्तावेज़ एतदद्वारा अग्रेषित कर रहे हैं।

(1) 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वार्षिक लेखे की प्रति; तथा

(2) 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की कार्यनिष्पादन रिपोर्ट।

भवदीय,

**(सिवसुब्रमणियन रमण)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संलग्नक: यथोक्त

# सिडबी का निदेशक मंडल

(यथा 31 मई, 2021)

**श्री सिवसुब्रमणियन रमण**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**श्री वी. सत्य वेंकट राव**
उप प्रबंध निदेशक

**श्री सुदत्त मंडल**
उप प्रबंध निदेशक

**श्री देवेन्द्र कुमार सिंह**

**श्री पंकज जैन**

**श्री जी.के. कंसल**

**श्री वी. सत्य कुमार**

**श्री एल.आर. रामचंद्रन**

**श्री जी. गोपालकृष्ण**

**श्री आशीष गुप्ता**

**श्रीमती नुपुर गर्ग**

# निदेशक-मंडल स्तर की समितियों का विवरण (यथा 31 मई 2021)

वित्तवर्ष 2021 के दौरान निदेशक-मंडल की चार बैठकें संपन्न हुईं।

**कार्यकारिणी समिति** (9 बैठकें)*

1 श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री सुदत्त मंडल
4 श्री जी. के. कंसल
5 श्री वी. सत्य कुमार

**जोखिम प्रबंध समिति** (7 बैठकें)

1 श्री वी. सत्य कुमार, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री सुदत्त मंडल
4 श्री जी.के. कंसल

**सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति** (4 बैठकें)

1 श्री जी. गोपालकृष्ण, अध्यक्ष
2 श्री सुदत्त मंडल
3 श्री वी. सत्य कुमार
4 श्री राजेश दोशी (बाह्य विशेषज्ञ)
5 श्री पुष्पिंदर सिंह (बाह्य विशेषज्ञ)

**मानव संसाधन संचालन समिति** (शून्य बैठक)

1 श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री सुदत्त मंडल
4 श्री पंकज जैन
5 श्री जी.के. कंसल
6 डॉ चित्रा राव (बाह्य विशेषज्ञ)

**उप प्रबंध निदेशक - प्रबंध समिति** (8 बैठकें)

1 श्री वी. सत्य वेंकट राव, अध्यक्ष
2 श्री सुदत्त मंडल
3 श्री जी.के. कंसल
4 श्री वी. सत्य कुमार
5 श्रीमती नुपुर गर्ग

**नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति** (कोई बैठक नहीं)

1 श्री पंकज जैन
2 श्री एल.आर. रामचंद्रन
3 श्रीमती नुपुर गर्ग

**लेखापरीक्षा समिति** (4 बैठकें)

1 श्री वी. सत्य कुमार, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री सुदत्त मंडल
4 श्री पंकज जैन
5 श्री आशीष गुप्ता

**बड़ी राशियों की धोकाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष समिति** (3 बैठकें)

1 श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री सुदत्त मंडल
4 श्री पंकज जैन
5 श्री जी.के. कंसल
6 श्री वी. सत्य कुमार

**ग्राहक सेवा समिति** (2 बैठकें)

1 श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री सुदत्त मंडल
4 श्री जी.के. कंसल
5 श्री वी. सत्य कुमार

**वसूली समीक्षा समिति** (2 बैठकें)

1 श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री सुदत्त मंडल
4 श्री पंकज जैन
5 श्री जी. गोपालकृष्ण

**इरादतन चूककर्ता तथा असहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति** (कोई बैठक नहीं)

1 श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2 श्री आशीष गुप्ता
3 श्री जी. गोपालकृष्ण

**सवर्द्धन एवं विकास गतिविधि समिति** (कोई बैठक नहीं)

1 श्री देवेन्द्र कुमार सिंह
2 श्री पंकज जैन
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव

*कोष्ठक में दी गई संख्या वित्तवर्ष 2021 के दौरान आयोजित समिति की बैठकें दर्शाती है।

# अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

**"मुझे विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्वावलंबन की युगांतरकारी यात्रा के सूत्रपात का इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता था। हमारी खुद की क्षमताओं और आंतरिक शक्ति पर आधारित विकास-यात्रा और अधिक समावेशी तथा निर्भ्रान्त रूप से और अधिक स्थिर होगी।"**

वित्तवर्ष 2021 अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में बहुत कठिन रहा है। इसका मुख्य कारण रहा - घातक कोरोना वायरस का प्रकोप। इसने न केवल मानवता को कुप्रभावित करके उसके लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है, बल्कि आजीविका और समूची अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर डाला है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। उसे भी इस महामारी की मार झेलनी पड़ी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोविड महामारी के दौरान जिस प्रतिरोधक क्षमता का परिचय दिया है, उससे मेरी इस धारणा की पुष्टि हुई है कि इसकी आधारशिला मज़बूत है और इसमें कठिनाइयों से उबरने की क्षमता है।

इस महामारी ने हम पर गंभीर असर डाला है, लेकिन इस आपदा से हम जितनी तेजी से उबरेंगे, उसी से हमारी भविष्य की विकास-यात्रा निर्धारित होगी। सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य हितधारकों द्वारा किए गए स्वतःस्फूर्त उपाय हमारे संघर्ष की सफलता में महत्त्वपूर्ण रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्वावलंबन की युगांतरकारी यात्रा के सूत्रपात का इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता था। हमारी खुद की क्षमताओं और आंतरिक शक्ति पर आधारित विकास-यात्रा और अधिक समावेशी तथा निर्भ्रान्त रूप से और अधिक स्थिर होगी।

सिडबी में, हमने कोविड से जन्मे संकट-काल में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हमारी संस्था की सबसे प्रमुख और संतोषजनक उपलब्धि यह है कि अपनी असंख्य पहलक़दमियों के ज़रिये एमएसएमई, मध्यवर्ती वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य हितधारकों की मदद करने में हम सक्षम रहे। हमने एमएसएमई की विविध आवश्यकताओं के लिए उनके अनुकूल समाधान देने पर ध्यान दिया। मार्च, 2020 में जब इस महामारी की शुरूआत हुई, उस समय महामारी से सीधी लड़ाई में जुटे एमएसएमई को आसान दरों पर सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट ऋण-योजनाएँ लागू करने वाली पहली कुछ संस्थाओं में से हमारा बैंक भी एक था। हमने ये प्रयास जारी रखे और जब महामारी की दूसरी लहर आई, तब हमने कुछ और

योजनाएँ आरंभ कीं। इस चुनौती भरे समय में उद्यमिता को बढ़ावा देने, हितधारकों के साथ मिलकर काम करने और उभरते हुए उद्यमियों के मार्गदर्शन की दृष्टि से बैंक की संवर्द्धन और विकासपरक भूमिका पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गई।

कोविड महामारी हर मोर्चे पर तकनीक को अपनाने में सबसे बड़ी सहायक रही है, फिर चाहे वह ऋण-प्रदायगी का क्षेत्र हो या कारोबार को बाज़ार से जोड़ने का। एमएसएमई क्षेत्र की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होने के नाते बैंक ने भी अपने गीयर बदलकर ऋण-प्रदायगी के काम में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ा लिया है। साथ ही, हितधारकों के साथ डिजिटल क्षेत्र में रचनात्मक संबंधों की शुरुआत भी की है, ताकि एमएसएमई के लिए समर्थकारक डिजिटल पारितंत्र निर्मित हो सके। अपनी कोशिशों को सरकार और विनियामक के डिजिटल प्रयासों के अनुरूप बनाते हुए हम एमएसएमई के लिए प्रत्यक्ष व संस्थागत ऋण-प्रदायगी की दृष्टि से एक डिजिटल बैंक बनने का लक्ष्य रखते हैं।

बैंक के कर्मचारियों ने आपदा-काल में जिस चारित्रिक सुदृढ़ता का परिचय दिया है, उस पर मुझे गर्व है। एमएसएमई क्षेत्र को और भी बेहतर तरीके से सेवा प्रदान करने के उनके प्रशंसनीय प्रयास के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ।

## वित्तीय कार्यनिष्पादन

इस वित्तीय वर्ष के दौरान महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों के बावजूद बैंक अपने विकास-पथ पर अग्रसर रहा है। इसकी मुख्य वित्तीय विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

- वित्तवर्ष 2021 की समाप्ति पर बैंक का आस्ति-आधार ₹1,92,322 करोड़ रहा और इसमें वर्षानुवर्ष 2.6% की वृद्धि हुई।
- वित्तवर्ष 2021 के अंत में ऋण व अग्रिम ₹1,56,233 करोड़ रहे और उनमें वित्तवर्ष 2020 की तुलना में 5.6% की कमी आई।
- निवल ब्याज मार्जिन में 0.10% की वृद्धि होने के कारण, वित्तवर्ष 2021 की निवल ब्याज आय 11.5% बढ़कर ₹3,678 करोड़ रही।
- वित्तवर्ष 2021 के दौरान बैंक ने ₹2,398 करोड़ का अपना अब तक का सर्वाधिक लाभ दर्ज़ किया। यह वित्तवर्ष 2020 की तुलना में 3.6% अधिक है।
- वित्तवर्ष 2021 में प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) बढ़कर ₹45.09 हो गया, जबकि वित्तवर्ष 2020 में यह ₹43.51 रहा था।

## व्यवसाय-कार्यनिष्पादन

बैंक के समग्र बकाया संविभाग का 92% संस्थागत वित्त खातों से संबंधित है। इसमें बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त (84%), गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों को सहायता (7%) तथा अल्पवित्त संस्थाओं की सहायता (1%) शामिल है। वित्तवर्ष 2021 की समाप्ति पर संस्थागत वित्त बही ₹1,44,628 करोड़ रुपये की थी, जिसमें 31 वाणिज्य बैंक, 10 लघु वित्त बैंक, 71 गैरबैंकिंग वित्त कंपनियाँ तथा 78 अल्पवित्त संस्थाएँ सक्रिय ग्राहक थीं।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक की ₹15,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) शृंखला-I के अंतर्गत मध्यवर्ती वित्तीय संस्थाओं को चलनिधि सहायता भी प्रदान की। बैंक ने अब इस सुविधा का पूर्ण उपयोग कर लिया है। मध्यवर्ती संस्थाओं की चलनिधि संबंधी कठिनाई का समाधान करने के लिए, बैंक के अनुरोध पर विचार करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिर से ₹15,000 करोड़ की एसएलएफ-II तथा नवोन्मेषी योजनाओं के लिए एमएसएमई क्षेत्र, खास तौर से सहायता की कमी वाले और आकांक्षी जिलों के अपेक्षाकृत छोटे एमएसएमई की अल्पावधि एवं मध्यावधि ज़रूरतों की पूर्ति हेतु ₹16,000 करोड़ की एसएलएफ-III प्रदान की है। एसएलएफ-III के अंतर्गत, बड़ी संख्या में एमएसएमई तक पहुँचने के उद्देश्य से बैंक का लक्ष्य उन अपेक्षाकृत छोटी गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों तथा अल्पवित्त संस्थाओं की प्रत्यक्ष रूप से अथवा मध्यस्थ

संस्थाओं के माध्यम से सहायता करना है, जो असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

इन चुनौती भरे दिनों में एमएसएमई की सहायता करने में बैंक के प्रत्यक्ष वित्त परिचालनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने अनेक प्रकार के उत्पादों के माध्यम से बैंक सरल प्रक्रिया अपनाकर कम समय में एमएसएमई की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष वित्त (आरएफ़एस को छोड़कर) के अंतर्गत बकाया संविभाग 17.4% की दर से बढ़कर ₹11,581 करोड़ हो गया। ग्राहक-आधार 19.9% बढ़कर 7,910 हो गया। वित्त वर्ष में परिचालनों की मुख्य विशेषता रही - महामारी के दौरान एमएसएमई को खड़ा रखने के लिए आसान दरों पर ऋण-प्रदायगी वाले विशिष्ट उत्पादों की शुरुआत। दूसरी लहर के दौरान एमएसएमई की मदद के लिए बैंक ने 'श्वास' और 'आरोग' नामक दो नई योजनाएँ भी शुरू कीं।

जैसा कि मैंने बताया, भविष्य में हम एमएसएमई को ऐसा त्रुटिरहित डिजिटल ऋण-अनुभव देना चाहते हैं, जिसमें ऋण की हामीदारी और निगरानी, दोनों चरणों में डाटा के उपयोग तथा उत्कृष्ट जोखिम मॉडलिंग के ज़रिये ऋण-आवेदन से लेकर ऋण-प्रदायगी तक संपन्न हो सके।

उद्यम पूँजी परिचालनों के अंतर्गत, बैंक स्टार्टअप के लिए निधियों की निधि (एफ़एफ़एस), ऐस्पायर निधि (एएफ़) तथा यूपी स्टार्टअप निधि संचालित कर रहा है। यथा 31 मार्च, 2021, एफ़एफ़एस के तहत 71 वैकल्पिक निवेश निधियों को संचयी रूप से ₹5,409.45 करोड़ के अनुमोदन तथा ₹1,484.75 करोड़ के संवितरण किए गए। यूपी स्टार्ट-अप निधि के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 तक दो वैकल्पिक निवेश निधियों को ₹20 करोड़ की प्रतिबद्धता की गई।

### संवर्द्धन और विकास संबंधी प्रयास (पीएंडडी)

बैंक की संवर्द्धन और विकास संबंधी गतिविधियों में उद्यमों की मूल्य-श्रृंखला को सुदृढ़ करने का ताना-बाना बुनकर विशेषतः पिरामिड के निचले पायदान पर विद्यमान एमएसएमई पारितंत्र की वित्तीय और गैर-वित्तीय कमियों को पाटने का प्रयास किया जाता है। युवाओं में उद्यमिता जगाने तथा अल्पसेवित घटकों के सूक्ष्म व उदीयमान उद्यमियों तक पहुँचकर उनसे समावेशी और नवोन्मेषी तरीके से जुड़ने के लिए पीएंडडी परिचालनों के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। हम 'स्वावलंबन' नामक एक व्यापक अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत युवाओं को काम माँगनेवाले के बजाय काम देनेवाला बनाने, पर-निर्भरता के बजाय आत्म-निर्भर बनाने, कर्मचारी के बजाय उद्यमी बनाने - यानी संक्षेप में स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

'मिशन स्वावलंबन' के पाँच स्तंभ हैं - संपर्क, संवाद, सुरक्षा, संप्रेषण और संगम। ये बैंक की पीएंडडी गतिविधियों के मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रत्येक मार्गदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत कार्ययोजना बनाई जाती है, तत्पश्चात् उसके प्रभाव और विस्तार-क्षमता के अनुसार उसे आगे बढ़ाया जाता है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर इन कार्ययोजनाओं के लिए उपलब्ध नेटवर्कों का लाभ उठाते हुए इन्हें क्रियान्वित किया जाता है। इनके परिणाम राष्ट्रीय/राज्य-स्तरीय विकास मिशनों के अनुरूप होते हैं।

कुछ मुख्य प्रयास जिन्हें आगे बढ़ाया गया है, उनमें उषा इंटरनेशनल की साझेदारी में 1,638 गाँवों में स्वावलंबन सिलाई स्कूलों की स्थापना, 100 ज़िलों में स्वावलंबन कनेक्ट केंद्रों की स्थापना, नवयुगीन डिजिटल तथा

"जैसा कि मैंने बताया, भविष्य में हम एमएसएमई को ऐसा त्रुटिरहित डिजिटल ऋण-अनुभव देना चाहते हैं, जिसमें ऋण की हामीदारी और निगरानी, दोनों चरणों में डाटा के उपयोग तथा उत्कृष्ट जोखिम मॉडलिंग के ज़रिये ऋण-आवेदन से लेकर ऋण-प्रदायगी तक संपन्न हो सके।"

कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों पर 15 ई-उद्यम संज्ञान का आयोजन, बिहार के 36 ज़िलों में बैंक सखी कार्यक्रम का आयोजन, महाविद्यालयों में स्वावलंबन भित्तियों तथा क्लबों की स्थापना, पूर्वोत्तर के पाँच राज्यों सहित कुल नौ पिछड़े राज्यों में ईयू स्विच एशिया बाँस परियोजना शुरू करना, स्वावलंबन मेलों का आयोजन, आदि शामिल हैं।

एमएसएमई पारितंत्र को मज़बूत करने तथा किसी एक राज्य की अच्छी परिपाटियों को प्रशिक्षण-सत्रों के माध्यम से किसी दूसरे राज्य में अंतरित करने के उद्देश्य से, बैंक ने 11 राज्यों में परियोजना प्रबंध इकाइयाँ भी स्थापित की हैं। बैंक ने स्वावलंबन संकट-निवारण निधि स्थापित की है इसका उद्देश्य बिना शुल्क लिए एमएसएमई को ट्रेड्स प्लैटफॉर्म से जोड़ना है। बैंक ने 11,600 से अधिक एमएसएमई को ट्रेड्स प्लैटफॉर्म से जोड़ा है। एमएसएमई पारितंत्र की गैर-वित्तीय ज़रूरतों के समाधान के लिए हम नए उपायों का पता लगाना जारी रखेंगे।

## वैचारिक नेतृत्व और सुगमकार की भूमिका

वैचारिक नेता के रूप में, हमने पारितंत्र में सूचना की विषमता के समाधान हेतु क्रेडिट ब्यूरो की साझेदारी में कई पहलकदमियाँ की हैं। "एमएसएमई पल्स". "माइक्रोफाइनैंस पल्स", "क्रिसिडेक्स" "इंडस्ट्री स्पॉटलाइट" और "फिनटेक पल्स" जैसे हमारे सूचना-उत्पाद नीति-निर्माताओं तथा हितधारकों को मुख्य डाटा संबंधी अंतर्दृष्टि देने के लिए तैयार किए गए हैं। अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचने के उद्देश्य से इन्हें विभिन्न भारतीय भाषाओं में तैयार किया जा रहा है।

सरकार की एमएसएमई-उन्मुख योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीएलसीएसएस, एमएसएमई-सीडीपी, ब्याज अनुदान योजनाओं तथा आंशिक ऋण गारंटी योजना जैसी योजनाओं के साथ-साथ आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की पीएमस्वनिधि योजना तथा मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन-भागीदार की भूमिका भी बैंक को सौंपी गई है।

## सहायक/ सहयोगी संस्थाएँ

मैं बैंक की उन सहयोगी एवं सहायक संस्थाओं की भूमिका की सराहना करता हूँ, जिन्होंने एमएसएमई क्षेत्र की वैविध्यपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सर्वसमावेशी पारितंत्र निर्मित किया है। सीजीटीएमएसई ने 51.42 लाख एमएसई ऋण-खातों को अपने माध्यम से ऋण दिलाया है। इसमें 31 मार्च, 2021 तक ₹2.58 लाख करोड़ का ऋण संवितरित किया गया है। वित्तवर्ष 2021 के दौरान मुद्रा ने ₹12,303 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की। इसमें गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों तथा गैरबैंकिंग वित्त कंपनी-अल्पवित्त संस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। आरएक्सआईएल ट्रेड्स प्लैटफॉर्म ने 4,96,102 से अधिक बीजकों का वित्तपोषण किया, जिनकी कुल राशि ₹10,318.93 करोड़ है। वर्तमान में एसवीसीएल आठ निधियों के निवेश प्रबंधक के रूप में कार्यरत है, जिनकी 31 मार्च, 2021 तक बकाया समूहनिधि ₹794 करोड़ थी। रेटिंग एजेंसी ऐक्युइटे ने 31 मार्च, 2021 तक 50,000 से अधिक एसएमई तथा 8,700 से अधिक बैंक ऋणों को रेटिंग दी हैं। पीएसबीलोन्सइन59मिनट्स प्लैटफॉर्म पर 3.97 लाख एमएसएमई ने ऋणदाताओं से सिद्धान्ततः अनुमोदन प्राप्त किया। इनमें से 3.15 लाख एमएसएमई ने 31 मार्च, 2021 तक अंतिम मंज़ूरियाँ प्राप्त कर ली हैं।

## भावी योजना

भविष्य में भी हम एमएसएमई क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगे कि महामारी झेल रहे एमएसएमई की विकास-यात्रा सुचारु और सुदृढ़ रूप में जारी रहे। संस्था के स्तर पर हम प्रौद्योगिकी-अंगीकरण तथा अपने कर्मचारियों के कौशल-उन्नयन के माध्यम से अपनी पहुँच का विस्तार जारी रखने पर ध्यान देंगे।

**सिवसुब्रमणियन रमण**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

# निदेशक रिपोर्ट

**वी. सत्य वेंकट राव**
उप प्रबंध निदेशक

**सुदत्त मंडल**
उप प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तवर्ष के लिए आपके बैंक के समग्र व्यवसाय और परिचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए, बैंक का निदेशक-मंडल प्रसन्नता व्यक्त करता है।

पिछले वर्ष, कोविड-19 महामारी के दौरान बैंक ने विविध स्वरूपों में सर्वांगीण कार्यकलापों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की सहायता करने पर ध्यान केंद्रित किया है। बैंक की गतिविधियों को सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायता करने वाले उपायों के समनुरूप बनाया गया और इस क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याएँ व कमियाँ दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। वर्ष के दौरान, बैंक के प्रत्यक्ष वित्त परिचालन ने उन एमएसएमई के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप योजनाएँ शुरू कीं, जो महामारी से लड़ने में लगे हुए थे, जिसके फलस्वरूप महामारी के प्रति शीघ्रता से उपाय किए जा सके। संस्थागत वित्त परिचालन ने वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं, विशेष रूप से कमतर श्रेणीनिर्धारण (रेटिंग) वाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और अल्पवित्त संस्थाओं को चलनिधि सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि सबसे निचले स्तर के एमएसएमई के लिए ऋण सुनिश्चित किया जा सके। जिन लोगों की आजीविका महामारी से प्रभावित हुई थी, उनकी सहायता करने और साथ ही नवोदित उद्यमियों के क्षमता-निर्माण के लिए, बैंक की संवर्द्धन एवं विकासपरक गतिविधियों को अनुकूल बनाया गया।

एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी शीर्ष निकाय होने के नाते, आपके बैंक ने डिजिटल उपायों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ रचनात्मक सहयोग किया है। बैंक का उद्यमीमित्र पोर्टल एक प्रतीयमान पारितंत्र बनकर उभरा है, और विभिन्न हितधारक इस क्षेत्र के विकास के लिए इसका प्रभावी ढंग से लाभ उठा रहे हैं।

वित्तवर्ष 2021 के लिए बैंक के कार्यनिष्पादन के बारे में वार्षिक रिपोर्ट के आगे के अध्यायों में विस्तार से वर्णन किया गया है।

**(वी. सत्य वेंकट राव)**
उप प्रबंध निदेशक

**(सुदत्त मंडल)**
उप प्रबंध निदेशक

वित्तवर्ष 2021 के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन के प्रमुख बिन्दु भाग-I में दर्शाए गए हैं और वित्तवर्ष 2021 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भाग-II में संलग्न हैं।

# प्रयुक्त संक्षेपाक्षर:

**एएचआईडीएफ़** – पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

**एआईएफ़** – वैकल्पिक निवेश निधि

**एएलएम** – आस्ति देयता प्रबंध

**एआरएम** – आस्ति पुनर्संरचना मॉड्यूल

**अरोग** / एआरओजी – कोविड–19 महामारी के दौरान पुनरुत्थान एवं संगठित विकास के लिए एमएसएमई को सिडबी की सहायता

**ऐस्पायर –** नवोन्मेषिता और ग्रामीण उद्यमिता संवर्द्धन योजना

**एएसआरएलएम –** असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

**बीसीएम** – व्यवसाय निरंतरता प्रबंध

**सीडीएफ़आई** – डिजिटल वित्तीय समावेश केंद्र

**सीएलसीएसएस** – ऋण–संबद्ध पूँजी सब्सिडी योजना

**सीओडब्ल्यूई** – महिला उद्यमी परिसंघ

**सीआरआर** – आरक्षित नक़दी निधि अनुपात

**सीएसएसी** – कोविड स्टार्ट–अप सहायता योजना

**सीटीएफ़** – स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि

**सीवीपीसी** – केंद्रीय विक्रेता भुगतान कक्ष

**डीआईसीसीआई** – दलित इंडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

**डीपीआईआईटी** – उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग

**ईसीजीसी** – निर्यात ऋण गारंटी निगम

**ईईएसएल** – एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

**एफ़पीटीयूएफ़एस** – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना

**जीसीएफ़** – हरित जलवायु निधि

**जीईएफ़** – वैश्विक पर्यावरण सुविधा

**एचएफ़सी** – आवास वित्त कंपनियाँ

**आईसीएएपी** – आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया

**आईडीएलएसएस** – एकीकृत चमड़ा क्षेत्र विकास योजना

**आईएमएफ़** – अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

**आईआरएमएस** – एकीकृत जोखिम प्रबंध प्रणाली

**एमएफ़आई** – अल्पवित्त संस्था

**एमएसई** – सूक्ष्म और लघु उद्यम

**एमएसई–सीडीपी** – सूक्ष्म और लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम

**एमएसएमई** – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

**एनबीएफ़सी** – गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी

**एनडीटीएल** – निवल माँग एवं सावधिक देयताएँ

**एनईआर** – उत्तर–पूर्वी क्षेत्र

**ओईएम** – मूल उपकरण विनिर्माता

**ओआरएम** – परिचालनगत जोखिम प्रबंध

**ओटीएस** – एकबारगी निपटान योजना

**पीएलआई** – उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन

**पीएलआईएस** – प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएँ

**पीआरएसएफ़** – आंशिक जोखिम साझेदारी सुविधा

**पीएसबी** – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

**आरएफ़एस** – प्राप्य वित्त योजना

**आरओए** – आस्तियों पर प्रतिफल

**आरओसीई** – प्रयुक्त पूँजी पर प्रतिफल

**आरओई** – ईक्विटी पर आय

**सेफ़ / एसएएफ़ई** – कोरोना वायरस के विरुद्ध आपातकालीन कार्रवाई के लिए सिडबी की सहायता

**एसएआरबी** – विशिष्ट आस्ति वसूली शाखा

**एसएफ़बी** – लघु वित्त बैंक

**एसएचपीआई** – स्वसहायता समूह संवर्द्धन संस्था

**एसएचडब्ल्यूएएस** – कोविड–19 की द्वितीय लहर के विरुद्ध कार्यरत स्वास्थ्य–रक्षा क्षेत्र के लिए सिडबी की सहायता

**एसएमए** – विशेष उल्लेखनीय खाता

**स्माइल** – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सिडबी मेक इन इंडिया सुलभ ऋण निधि

**टीएटी** – कार्रवाई समय

**टेक्अप** – प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन

**ट्रेड्स** – व्यापार संबंधी प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली

**टीआरएमवी** – कोषागार एवं संसाधन प्रबंध उद्–भाग

**टीयूएफ़एस** – प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना

**त्वरित** – कोरोना संकट के समय उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए समय पर कार्यशील पूँजी सहायता

**यूएनएफ़सीसीसी** – संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन

**वीसीएफ़** – उद्यम पूँजी निधि

**डब्ल्यूसीटीएल** – कार्यशील पूँजी सावधि ऋण

# अध्याय 1 एमएसएमई परिदृश्य

## वैश्विक अर्थव्यवस्था

विश्व बैंक[1] और आईएमएफ़[2] ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए क्रमशः 5.6% और 6% की वृद्धि के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रबल सुधार का अनुमान लगाया है।

विश्व बैंक और आईएमएफ़ के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2022 में क्रमशः 4.3% और 4.4% की मध्यम विकास दर का अनुमान है।

## घरेलू अर्थव्यवस्था

वित्तवर्ष 2021 के दौरान कोविड संबंधी लॉकडाउन के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.3% की गिरावट होने का अनुमान है, जबकि वित्तवर्ष 2020 में इसमे 4.0% की वृद्धि हुई थी।[3]

वित्तवर्ष 2021 में व्यापार[4] निर्यात ₹21.50 लाख करोड़ रहा, जबकि वित्तवर्ष 2020 के दौरान यह ₹22.20 लाख करोड़ था, जिसमें वर्षानुवर्ष आधार पर 3.13% की गिरावट आई।

वित्तवर्ष 2022 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान निर्यात रिकॉर्ड 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया - इसमें वित्तवर्ष 2021 की इसी अवधि की तुलना में 85% और वित्तवर्ष 2020[5] की तुलना में 18% की वृद्धि आई।

## एमएसएमई क्षेत्र

**63.3 मिलियन**
एमएसएमई इकाइयाँ

**110 मिलियन**
लोगों को रोज़गार

**30.27%**
का योगदान वित्तवर्ष 2019 में
अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में

**49.7%**
का योगदान वित्तवर्ष 2020 के दौरान
अखिल भारतीय निर्यात (अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में) में

खुदरा और थोक व्यापार को भी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी ऋण लाभ के उद्देश्य से एमएसएमई में शामिल किया गया।

[1] ग्लोबल इकनॉमिक प्रोस्पेक्ट जून 2021
[2] वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलूक अप्रैल 2021
[3] Q4 वित्त वर्ष 2021 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनंतिम अनुमान
[4] भारत का विदेश व्यापार पीआईबी, मार्च 2021
[5] भारत का विदेश व्यापार पीआईबी, जून 2021

## एमएसएमई क्षेत्र को ऋण

एमएसएमई पल्स के अनुसार, यथा 31 मार्च, 2021 तक एमएसएमई क्षेत्र को ऋण (₹50 करोड़ तक के ऋण) ₹20.21 लाख करोड़ रहा, और इसमे 6.6% की वर्षानुवर्ष वृद्धि थी।

एमएसएमई क्षेत्र को प्रदत्त ऋण

(₹ लाख करोड़)

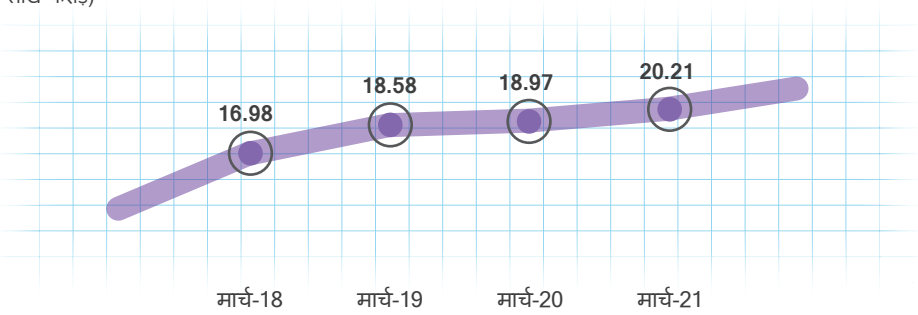


समग्र एमएसएमई ऋण में ऋणदाताओं की आनुपातिक हिस्सेदारी के संदर्भ में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 48% योगदान करते हैं, इसके बाद निजी बैंक का योगदान 39% और एनबीएफ़सी का योगदान 13% हैं।

## एमएसएमई क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और राहत उपाय

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सरकार के सुधारी उपायों ने बाज़ार अवसरों और सरकारी सहायता के संदर्भ में एमएसएमई क्षेत्र में अत्यावश्यक संरचनात्मक परिवर्तन उपलब्ध कराए हैं। एमएसएमई क्षेत्र के लिए किए गए सुधार के उपाय नीचे सूचीबद्ध हैं :

आपातकालीन ऋण-व्यवस्था गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ने समय पर ऋण उपलब्ध कराकर आर्थिक गतिविधियों के पुनरुत्थान में प्रमुख भूमिका निभाई है। ईसीएलजीएस की कुल सीमा ₹3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर ₹4.5 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है। ईसीएलजीएस के तहत ₹2.73 लाख करोड़ मंज़ूर किए गए और ₹2.10 लाख करोड़ संवितरित किए गए हैं।[6]

मेक इन इंडिया को समर्थन देने के उद्देश्य से, सरकारी खरीदारी के लिए ₹200 करोड़ मूल्य की वैश्विक निविदाओं को अनुमति नहीं दी गई।

एनपीए / दबावग्रस्त एमएसएमई इकाइयों को आंशिक ऋण गारंटी सहायता के साथ ₹20,000 करोड़ का गौण ऋण दिया जाएगा।

निर्यात बीमा कवर को ₹88,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए ईसीजीसी में 5 साल की अवधि में इक्विटी निवेश।

कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹1.10 लाख करोड़ की ऋण गारंटी योजना, जिसमें से ₹50,000 करोड़ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए और ₹60,000 करोड़ पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों के लिए है।

[6] पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति

## एमएसएमई क्षेत्र के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के राहत उपाय

बैंकों को सीआरआर की गणना के लिए अपने एनडीटीएल से नए एमएसएमई उधारकर्ताओं को प्रति उधारकर्ता ₹25 लाख तक के ऋण के बराबर की राशि की कटौती करने की अनुमति दी गई।

2021-22 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) को नए ऋण देने के लिए ₹50,000 करोड़ की अतिरिक्त चलनिधि सहायता उपलब्ध कराई गई; नाबार्ड को ₹25,000 करोड़; एनएचबी को ₹10,000 करोड़; और सिडबी को ₹15,000 करोड़।

एमएसएमई क्षेत्र, विशेष रूप से ऋण की कमी वाले और आकांक्षी जिलों की छोटी एमएसएमई इकाइयों की अल्पावधि और मध्यम अवधि की ज़रूरतें पूरी करने वाली नवोन्मेषी योजनाओं के लिए सिडबी को ₹16,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा।

देश में कोविड संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ बेहतर बनाने के लिए ₹50,000 करोड़ की माँग-पर-उपलब्ध चलनिधि सुविधा।

आस्ति वर्गीकरण निम्नतर किए बिना मौजूदा एमएसएमई ऋणों की पुनर्संरचना की सुविधा।

## एमएसएमई परिदृश्य : आगे का रास्ता

जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान होगा, एमएसएमई क्षेत्र यह सुनिश्चित करने वाले महत्त्वपूर्ण स्तंभों में से एक होगा कि अर्थव्यवस्था की बहाली समावेशी और टिकाऊ हो। पिछले वर्ष के दौरान एमएसएमई क्षेत्र की गतिशीलता बेहतर हुई है। भविष्य में, एमएसएमई क्षेत्र के लिए मुख्य प्रेरक बल निम्नलिखित होंगे:

**एमएसएमई के लिए व्यवसायगत सुगमता**

जीएसटी के 4 साल पूरे होने के साथ, उद्योग क्षेत्रों की परिभाषाओं को कुल बिक्री के साथ जोड़े जाने के फलस्वरूप, सुविधाओं/लाभों की सरलता से पहचान करना, उन्हें व्यवस्थित करना और अंतिम छोर तक पहुँचाना सुनिश्चित होगा। इसके अलावा, उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण के फलस्वरूप डेटा-समर्थित नीतिगत निर्णय करने में सरलता होगी।

**प्रौद्योगिकी अपनाना**

कोविड महामारी के कारण, भौगोलिक बाधाएँ दरकिनार कर, कंपनियाँ बाज़ारों तक पहुँचने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म अपनाने की दिशा में प्रेरित हुई हैं। भविष्य में, जैसे-जैसे डिजिटल विस्तार होगा, प्रौद्योगिकी की सहायता से एमएसएमई सही मायने में वैश्विक स्तर के उद्यम बनने में सक्षम हो सकेंगे।

**फिनटेक वित्तीयन**

शीघ्रता और सुगमता से ऋण संवितरित करने की क्षमता के कारण, फिनटेक वित्तीयन में यह संभावना है कि वह अंतिम छोर पर स्थित उद्यमों को ऋण संवितरित कर, एमएसएमई वित्तीयन का परिदृश्य बदल सके। फिनटेक तंत्र, हालाँकि प्रारंभिक अवस्था में है, सरकार और विनियामकों के प्रोत्साहन से इसका सतत विकास होगा।

**पीएलआई योजनाएँ**

सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट उद्यम सृजित करने और रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए 13 प्रमुख उद्योग-क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं के लिए ₹1.97 लाख करोड़ का परिव्यय घोषित किया है। पीएलआई योजनाएँ घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आधारशिला बनेंगी और एमएसएमई को बाज़ार के अवसर प्रदान करेंगी।

संरचनागत सुधारों ने एमएसएमई को उनकी पूरी क्षमता प्राप्त करने और यूएस $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के विज़न में योगदान की दिशा में उनकी गति बढ़ा दी है। केंद्रीय बज़ट 2021-22 ने इस क्षेत्र के लिए विकास के अत्यावश्यक उत्प्रेरक प्रदान किए हैं और आत्मनिर्भर भारत पैकेज़ ने वास्तव में एमएसएमई इकाइयों के दीर्घकालिक विकास के लिए स्थायित्व और लाभप्रदता में वृद्धि की है।

# अध्याय 2 व्यवसायिक पहलक़दमियाँ तथा समग्र परिचालन

## वित्तीय कार्यनिष्पादन

### आस्ति आधार

बैंक का आस्ति आधार ₹2 लाख करोड़ की ऐतिहासिक उपलब्धि की दिशा में बढ़ रहा है और यह वित्तवर्ष 2021 के अंत में 2.6% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹1,92,322 करोड़ रहा।

**आस्ति रूपरेखा**
(₹ करोड़)

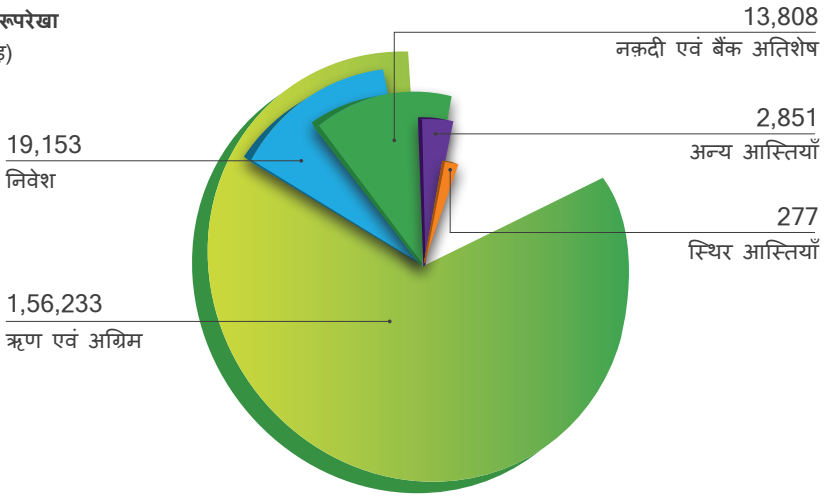


**आस्ति आधार**
(₹ करोड़)

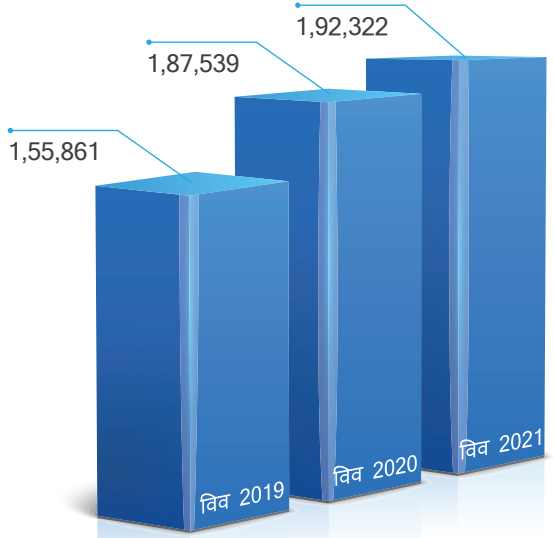

## ऋण एवं अग्रिम

यथा 31 मार्च, 2021 तक, ऋण एवं अग्रिम ₹1,56,233 करोड़ रहे, जो वित्तवर्ष 2020 की तुलना में 5.6% की गिरावट दर्शाते हैं।

**ऋण एवं अग्रिम**
(₹ करोड़)

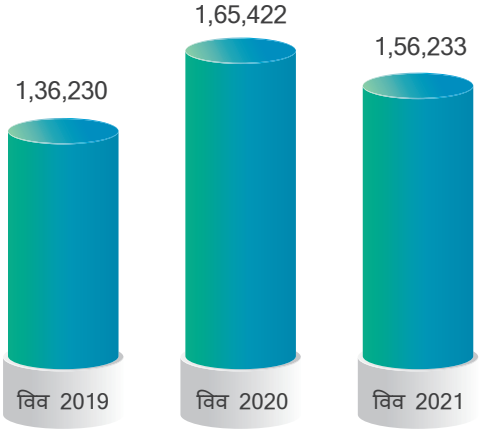


## आय एवं मार्जिन

वित्तवर्ष 2021 के लिए कुल आय ₹11,166 करोड़ रही, जिसमें वित्तवर्ष 2020 की तुलना में 7.6% की गिरावट आई। निवल ब्याज मार्जिन में 0.10% की वृद्धि के फलस्वरूप वित्तवर्ष 2021 के लिए निवल ब्याज आय 11.5% बढ़कर ₹3,678 करोड़ हो गई।

आय (₹ करोड़) एवं मार्जिन

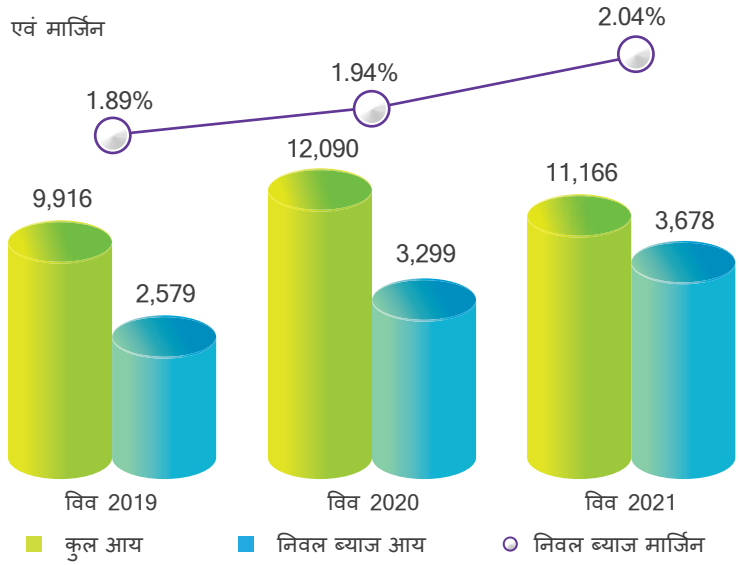

## परिचालन व्यय एवं लागत-आय अनुपात

वित्तवर्ष 2021 के लिए परिचालन व्यय ₹560 करोड़ रहा। इसमें वित्तवर्ष 2020 से वर्ष-दर-वर्ष 7.8% की गिरावट आई। वित्तवर्ष 2021 के दौरान लागत-आय अनुपात में दो प्रतिशत का सुधार हुआ और यथा 31 मार्च, 2021 को यह 12% रहा।

**परिचालन व्यय (₹ करोड़) एवं लागत-आय अनुपात**

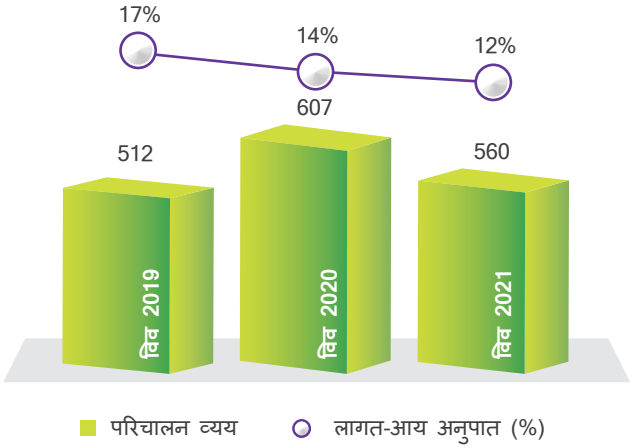


## निवल लाभ

वित्तवर्ष 2021 के दौरान बैंक ने ₹2,398 करोड़ का अपना अब तक का उच्चतम निवल लाभ दर्ज किया। वित्तवर्ष 2020 की तुलना में इसमें 3.6% की वृद्धि हुई।

**निवल लाभ**

(₹ करोड़)

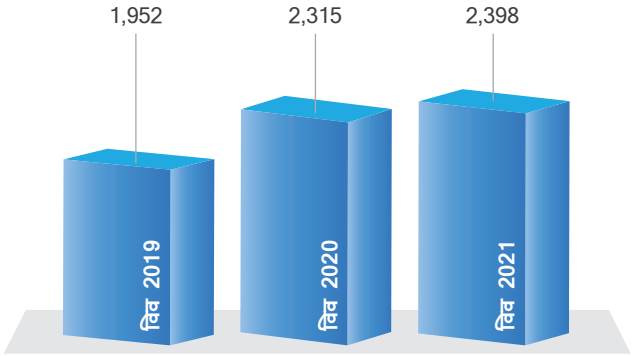

## आस्ति गुणवत्ता मैट्रिक्स

यथा 31 मार्च, 2021 को सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ 0.18% और निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ 0.12% थीं। वित्तवर्ष 2020 की तुलना में इसमें क्रमशः 0.45% और 0.28% का सुधार हुआ।

**आस्ति गुणवत्ता**

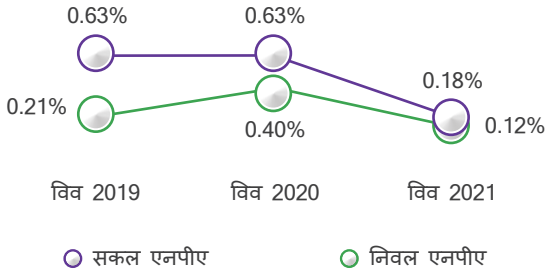


## शेयरधारक प्रतिलाभ

वित्तवर्ष 2021 में प्रति शेयर आय (ईपीएस) बढ़कर ₹45.09 हो गई, जबकि वित्तवर्ष 2020 में यह ₹43.51 थी।

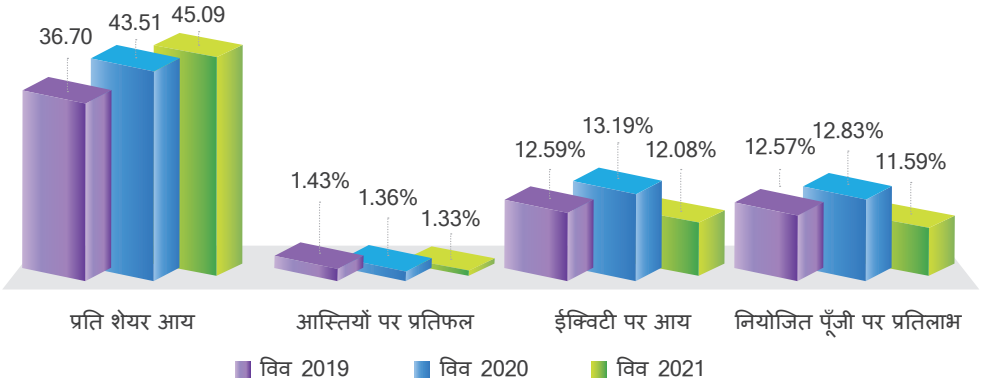


## अन्य मुख्य मापदंड

वित्तवर्ष 2021 के अंत में प्रावधान सुरक्षा अनुपात (पीसीआर) 93% रहा, जबकि वित्तवर्ष 2020 के अंत में यह 78% था।

वित्तवर्ष 2021 के अंत में पूँजी पर्याप्तता अनुपात 27.49% रहा, जबकि वित्तवर्ष 2020 के अंत में यह 26.62% था।

वित्तवर्ष 2021 के दौरान प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹154.08 करोड़ और प्रति कर्मचारी निवल लाभ ₹2.37 करोड़ रहा।

## व्यवसाय कार्यनिष्पादन

वित्त वर्ष 2021 के अंत में, कुल बकाया संविभाग में संस्थागत वित्त का हिस्सा लगभग 92% है।

**संविभाग संघटन वित्त वर्ष 2021**

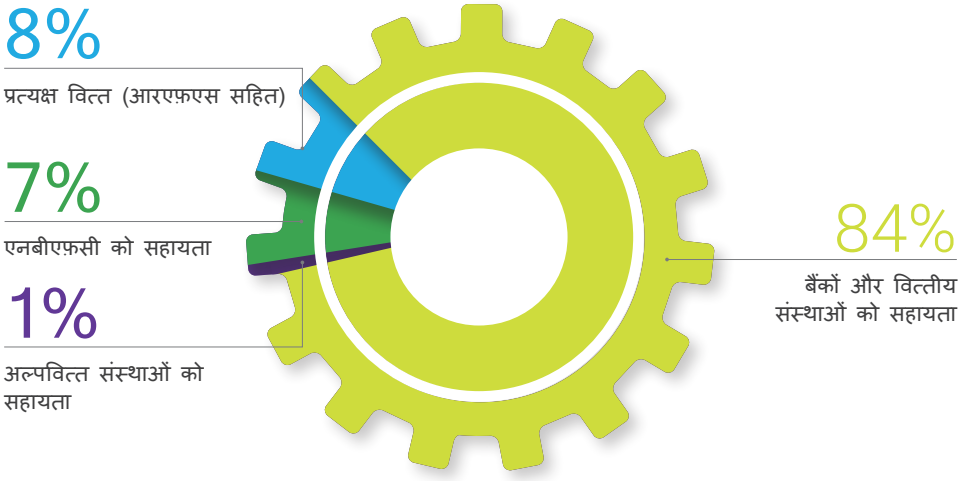


### संस्थागत वित्त

वित्तवर्ष 2021 के अंत में संस्थागत वित्त के अंतर्गत बकाया ₹1,44,628 करोड़ था। वित्तवर्ष 2020 के ₹1,55,429 करोड़ की तुलना में इसमें 6.9% की गिरावट आई।

**संस्थागत वित्त का संघटन**

(₹ करोड़)

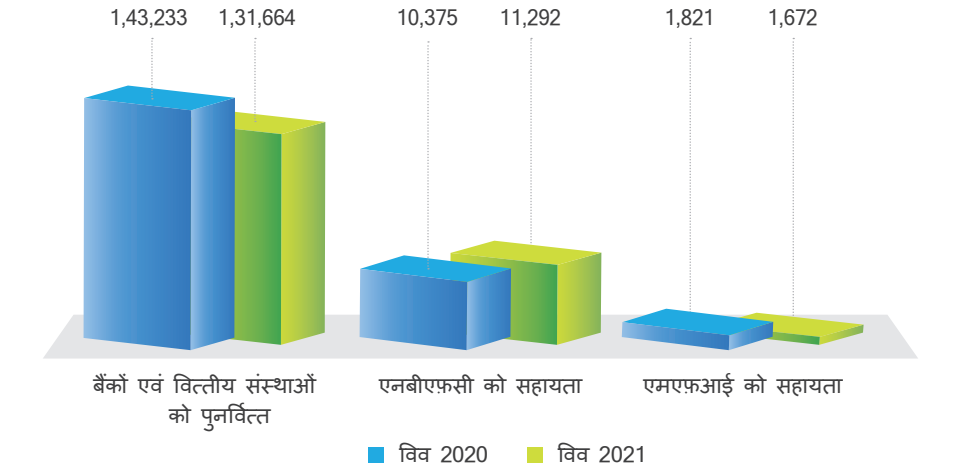

## बैंकों (लघु वित्त बैंकों सहित) व राज्य वित्त निगमों को प्रदत्त पुनर्वित्त

- वर्ष-दर-वर्ष 8.1% की गिरावट के साथ 31 मार्च, 2021 को संविभाग की बकायाराशि ₹1,31,664 करोड़ थी।
- वित्तवर्ष 2021 तक 31 वाणिज्य बैंक और 10 लघु वित्त बैंक सक्रिय ग्राहक थे।
- 31 मार्च, 2021 को, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र संबंधी वित्तपोषण में रही कमी में से आवंटित समूहनिधि के अंतर्गत संचयी संवितरण ₹1,61,183.47 करोड़ रहा, जिससे प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं के 24.69 लाख से अधिक एमएसई लाभान्वित हुए।
- वित्तवर्ष 2021 में बैंक ने अपने प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं की शाखाओं के माध्यम से 686 ज़िले कवर किए और ₹81,637 करोड़ संवितरित किए, जिससे लगभग 44.17 लाख व्यक्तियों को रोज़गार मिला। इसमें से 109 आकांक्षी ज़िलों में ₹5,600 करोड़ वितरित किए गए और 447 पिछड़े ज़िलों में ₹25,989 करोड़ वितरित किए गए।

## एनबीएफ़सी को सहायता

- एनबीएफ़सी को प्रदत्त सहायता में मार्च 2020 के ₹10,375 करोड़ की तुलना में 8.8% की वृद्धि हुई और यह मार्च 2021 में ₹11,292 करोड़ रही।
- वित्तवर्ष 2021 के दौरान, बैंक ने 35 नई एनबीएफ़सी को अपने साथ जोड़ा और यथा मार्च 2021 तक एनबीएफ़सी की कुल संख्या 71 हो गई।
- वित्तवर्ष 2021 के दौरान, एनबीएफ़सी (फिनटेक एनबीएफ़सी सहित) को प्रदत्त संवितरण ₹7,802 करोड़ रहा।

## अल्पवित्त संस्थाओं (एमएफ़आई) को प्रदत्त सहायता

- यथा 31 मार्च, 2021 तक एमएफ़आई को प्रदत्त सहायता ₹1,672 करोड़ थी। इसमें वित्तवर्ष 2020 की तुलना में 8.2% की गिरावट आई।
- वित्तवर्ष 2021 के दौरान, एमएफ़आई को प्रदत्त संवितरण ₹2,583 करोड़ रहा।
- 31 मार्च, 2021 तक, बैंक की अल्पवित्त व्यवसाय के अंतर्गत ₹20,568 करोड़ की संचयी सहायता संवितरित की गई, जिससे लगभग 4 करोड़ व्यक्ति/संस्थाएँ लाभान्वित हुईं।
- बैंक ने वित्तवर्ष 2021 के दौरान अपने साथ 18 नई एमएफ़आई जोड़ी हैं और मार्च 2021 तक सक्रिय अल्पवित्त संस्थाओं की कुल संख्या 78 थी।

### विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ़)

भारतीय रिज़र्व बैंक की ₹15,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ़) के अंतर्गत, बैंक ने अपना ध्यान कम श्रेणीनिर्धारण (रेटिंग) वाली एनबीएफ़सी और एमएफ़आई की चलनिधि संबंधी कमी दूर करने के लिए सहायता प्रदान करने पर केंद्रित किया। वित्तवर्ष 2021 के अंत में स्थिति इस प्रकार रही :

16 बैंकों (एसएफ़बी सहित) को ₹5,700 करोड़ का संवितरण किया गया, जिससे 17.14 लाख एमएसई लाभान्वित हुए।

57 एनबीएफ़सी को ₹4,902 करोड़ संवितरित किए गए, जिसमें 1 लाख से अधिक पात्र लाभार्थी शामिल हैं।

36 एमएफ़आई को ₹2,258 करोड़ संवितरित किए गए, जिसमें 6.45 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, एमएसएमई क्षेत्र को चलनिधि सहायता प्रदान करने और उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए, वित्तवर्ष 2022 के लिए बैंक को ₹15,000 करोड़ की एसएलएफ़-II तथा एमएसएमई क्षेत्र की अल्पावधि एवं मध्यम अवधि की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए नवोन्मेषी योजनाओं हेतु ₹16,000 करोड़ की एसएलएफ़-III किस्त प्रदान की है।

## प्रत्यक्ष ऋण

वित्तवर्ष 2021 के दौरान, बैंक ने विशेष रूप से महामारी से संघर्षरत एमएसएमई इकाइयों को ऋण की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित राहत उपायों के कार्यान्वयन पर अपना ध्यान केंद्रित किया।

- प्रत्यक्ष वित्त का बकाया संविभाग (आरएफ़एस को छोड़कर) मार्च, 2020 के ₹9,867 करोड़ की तुलना में मार्च, 2021 में ₹11,581 करोड़ रहा। इसमें वर्ष-दर-वर्ष 17.4% की वृद्धि हुई।
- वित्तवर्ष 2021 के दौरान संवितरण में 28% की वृद्धि हुई, लेकिन मंज़ूरी में 3.5% की मामूली कमी आई।

**प्रत्यक्ष वित्त संविभाग**

(₹ करोड़)

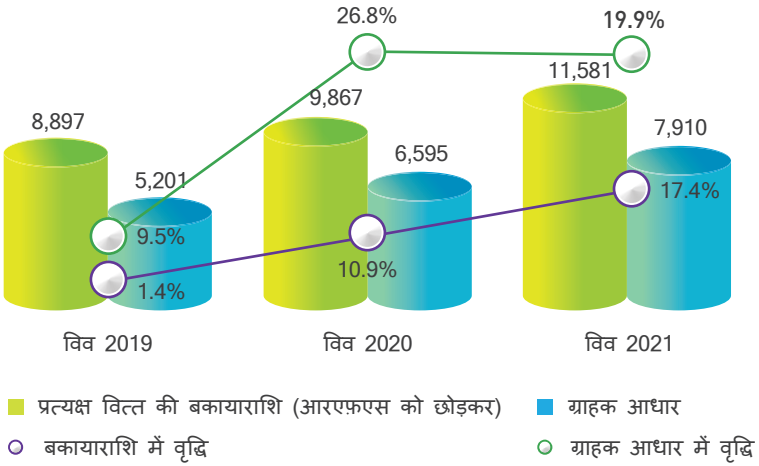


**अधिकाधिक प्रभाव के लिए रणनीतिक पुनर्विन्यास**

**पहुँच का विस्तार**

मार्च 2021 तक ग्राहकों की संख्या बढ़कर 7,910 हो गई, जो मार्च 2020 तक 6,595 थी। इसमें वर्ष-दर-वर्ष 19.9% की वृद्धि हुई।

**ग्राहक आधार का विविधीकरण**

सिडबी से प्रथम बार सहायता लेने वाले नए ग्राहकों को ऋण देने पर लक्ष्य केंद्रित करने के कारण, वित्तवर्ष 2021 के दौरान 2,009 नए ग्राहक जोड़े गए।

**त्वरित प्रदायगी**

समग्र कार्रवाई समय 10 दिन था, और नए व त्वरित प्रदायगी वाले उत्पादों के लिए यह लगभग 5 दिन था।

**अच्छे ग्राहकों का प्रतिधारण**

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान ₹665.46 करोड़ के बकाया मूलधन वाले 230 खातों के पूर्व भुगतान को टाला गया।

## प्रत्यक्ष वित्तपोषण के अंतर्गत व्यवसाय सहायक

- **मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) / उद्योग संघों के साथ गठबंधन:** एमएसएमई को ऋण की प्रदायगी में तेज़ी लाने के लिए 58 मशीन आपूर्तिकर्ताओं और छह उद्योग संघों के साथ ऋण प्रदायगी व्यवस्था (सीडीए) स्थापित की गई।
- **अक्षय / नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहन:** एमएसएमई इकाइयों में स्वच्छ ऊर्जा अपनाए जाने को प्रोत्साहन देने के लिए, बैंक ने सौर ऊर्जा क्षेत्र के तीन ओईएम के साथ साझेदारी की है।
- **नए व त्वरित प्रदायगी वाले उत्पादों का शुभारंभ :** वित्तवर्ष 2021 के दौरान, नए उत्पादों के अंतर्गत लगभग ₹2,900 करोड़ (5,738 ग्राहक) की मंज़ूरी और लगभग ₹2,522 करोड़ (5,122 ग्राहक) का संवितरण किया गया।

## डिजिटल प्रयास और आंतरिक प्रक्रिया में सुधार

स्मार्ट अप्रेजल टूल को अधिक सरल, स्वचालित बनाया गया।

नई योजनाओं के आवेदनपत्रों को डिजिटल स्वरूप प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप यथा 31 मार्च, 2021 तक ₹7,780 करोड़ की वित्तीय सहायता के लिए 4,117 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत हुए।

एआरएम-एमएसएमई वेब मॉड्यूल आरंभ किया गया, जो एक स्वयंसेवी वेब मॉड्यूल है। इसकी सहायता से एमएसएमई अपने पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वयं तैयार कर सकते हैं।

## प्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत संकेंद्रित प्रयास - दीर्घकालिक विकास

**एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता के लिए वित्तपोषण-** वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ़) द्वारा वित्तपोषित विश्व बैंक की परियोजना-

- 26 उद्यम-समूहों में क्रियान्वित।
- 'आद्यंत ऊर्जा दक्षता (4ई) योजना' के अंतर्गत ऋण प्रदायगी।
- विश्व बैंक ने परियोजना को 'अत्यधिक संतोषजनक' श्रेणी का माना है।

हरित परियोजनाएँ - बैंक भारत में ऊर्जा दक्षता बाज़ार के कायाकल्प के लिए, ईईएसएल के साथ मिलकर ऊर्जा दक्षता हेतु पीआरएसएफ़ का क्रियान्वयन कर रहा है, जो जीईएफ़, सीटीएफ़ और विश्व बैंक से समर्थित परियोजना है।

ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ़) से मान्यता प्राप्त, जो यूएनएफ़सीसीसी के अंतर्गत स्थापित है।

वित्तवर्ष 2021 के दौरान, दीर्घकालिक विकास को समर्थन देने के लिए टीआईएफ़एसी-सिडबी (सृजन) योजना और 4ई (आद्यंत ऊर्जा दक्षता) योजनाएँ जारी रखी गई।

## कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत प्रमुख पहलकदमियाँ

महामारी से संघर्षरत एमएसएमई की सहायता के लिए सेफ, सेफ-प्लस और सेफ-डब्ल्यूसीटीएल योजनाएँ आरंभ की गईं, जिनमें एमएसएमई को 5% की रियायती ब्याजदर पर सहायता प्रदान की जाती है। इसका कार्रवाई समय का लक्ष्य 48 घंटे है। इन योजनाओं के तहत 380 एमएसएमई को ₹166.26 करोड़ मंज़ूर किए गए।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की आपूर्ति शृंखला में शामिल मदों से संबंधित पूँजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए, स्माइल योजना के अंतर्गत एक विशेष ऋण-सुविधा।

त्वरित (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 तक 2,840 ग्राहकों को कुल ₹1,093.42 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी गई।

यथा 31 मार्च, 2021 तक, 3,480 ग्राहकों ने ऋणस्थगन अवधि का लाभ उठाया और 275 ग्राहकों ने ₹617 करोड़ रुपये की राशि के अपने अग्रिमों की पुनर्संरचना का लाभ उठाया।

## जोखिम प्रबंध

बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंध, बाज़ार जोखिम प्रबंध, परिचालनगत जोखिम प्रबंध, आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया, व्यवसाय निरंतरता प्रबंध, आदि को समाहित करते हुए व्यापक जोखिम प्रबंध प्रणाली स्थापित की है।

बैंक के कार्यनीतिक निर्णयों, जोखिम उठाने और दैनंदिन निर्णय प्रक्रिया के बीच स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम वहन-क्षमता संबंधी ढाँचा आरंभ किया गया है।

वाणिज्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की ऋण-जोखिम सीमा (एक्सपोजर) निर्धारित करने के लिए व्यापक ढाँचा आरंभ किया गया है।

बैंक में औपचारिक रूप से साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सीएसओसी) क्रियान्वित किया गया।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान हर समय व्यापार निरंतरता सुनिश्चित की गई।

बैंक के कर्मचारियों के लिए व्यवसाय सातत्यता प्रबंध, साइबर सुरक्षा और आईटी सुरक्षा पर ई-लर्निंग प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए गए।

## निधियों की निधि

निधियों की निधि के परिचालन के अंतर्गत बैंक सेबी में पंजीकृत उद्यम निधियों / वैकल्पिक निवेश निधियों में अंशदान करता है। योजना के अधिदेश के अनुसार, बैंक से समर्थित वीसीएफ़ / एआईएफ़ को एमएसएमई / स्टार्टअप्स में अपनी समूहनिधि की एक निर्दिष्ट राशि का निवेश करना होता है।

बैंक तीन निधियों की निधि, अर्थात् स्टार्टअप के लिए निधियों की निधि (डीपीआईआईटी), ऐस्पायर फंड (एमएसएमई मंत्रालय) और यूपी स्टार्टअप निधि (उत्तर प्रदेश सरकार की निधि) में से एआईएफ़ के लिए नए निवेशों की प्रतिबद्धता करता है।

सक्रिय निधियों की निधि की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत् है :

### स्टार्टअप के लिए निधियों की निधि (एफएफएस)

- ₹10,000 करोड़ रुपये की समूहनिधि
- संचयी रूप से 31 मार्च, 2021 तक 71 एआईएफ़ को ₹5,409.45 करोड़ रुपये मंज़ूर और ₹1,484.75 करोड़ रुपये संवितरित किए गए।
- वित्तवर्ष 2021 के दौरान 18 एआईएफ़ को ₹1,611.25 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए।

### ऐस्पायर निधि

- ₹310 करोड़ की समूहनिधि
- संचयी रूप से 5 एआईएफ़ के प्रति ₹47.50 करोड़ की कुल संचयी प्रतिबद्धता की गई।

### यूपी स्टार्टअप निधि

- ₹1,000 करोड़ रुपये की समूहनिधि
- 31 मार्च, 2021 तक दो एआईएफ़ के प्रति ₹20 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता की गई।

### अन्य पहलक़दमियाँ

आवेदनपत्र जमा करने से लेकर वीसीएफ़ संविभाग के वास्तविक समय आधारित डेटा प्रबंध तक की समग्र परिचालन-प्रक्रिया स्वचालित करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकीय उपाय आरंभ किए गए।

बैंक ने, डीपीआईआईटी के साथ मिलकर, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के अंतिम दौर में पहुँचने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए "ऑनलाइन पिचिंग कार्यक्रमों" की एक शृंखला आयोजित की।

कोविड-19 से प्रभावित स्टार्टअपों को कार्यशील पूँजी सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 स्टार्टअप सहायता योजना आरंभ की। इस योजना के अंतर्गत 14 स्टार्टअप को कुल ₹21.68 करोड़ की सहायता मंज़ूर की गई।

## अल्प ऋण/ उपेक्षित मध्यवर्ती उद्यम

बैंक ने उद्यम संवर्द्धन को सुकर बनाने और समाज के सबसे निचले स्तर के उधारकर्ताओं के लिए ऋण की लागत में कमी लाने के लिए "प्रयास" योजना आरंभ की।

इस योजना के अंतर्गत नवोदित सूक्ष्म उद्यमियों को किफायती दरों पर ₹0.50 लाख से ₹5 लाख के बीच वित्त प्रदान करने के लिए साझेदार संस्थाओं, जैसे - एमएफ़आई/ एसएचपीआई/ एनबीएफ़सी/ फिनटेक, आदि संस्थाओं की पहुँच का लाभ उठाया जाता है।

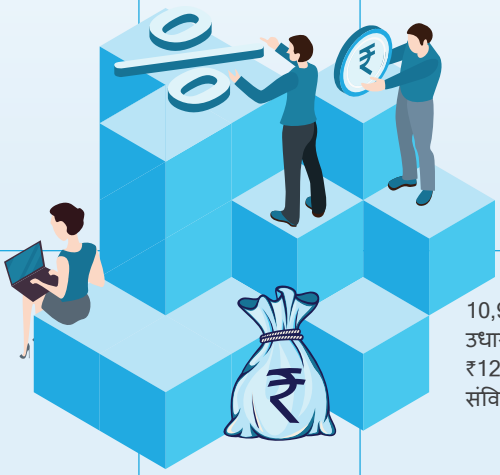

31 मार्च, 2021 तक प्रयास के अंतर्गत लगभग 14,260 सूक्ष्म उद्यमी/ उधारकर्ताओं को ₹172.21 करोड़ मंज़ूर किए गए।

10,986 सूक्ष्म उद्यमियों/ उधारकर्ताओं को कुल ₹128.02 करोड़ का ऋण संवितरण किया गया।

यथा 31 मार्च, 2021 को इस योजना के अंतर्गत बकायाराशि ₹64.49 करोड़ थी।

88% लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से और कुल संवितरित ऋण में से 88% अंश महिला उद्यमियों का है।

## वैचारिक नेतृत्व और संरचनागत पहलकदमियाँ

### सूचना विषमता दूर करने के लिए संरचनागत पहलकदमियाँ

बैंक पाँच सूचना उत्पाद प्रकाशित कर रहा है। ये सूचना उत्पाद कई भारतीय भाषाओं में आरंभ किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्या तक उनका लाभ पहुँच सके। बैंक के सूचना उत्पादों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :

#### एमएसएमई पल्स

यह सिबिल डेटाबेस में पाँच मिलियन से अधिक सक्रिय ऋण-भोगी एमएसएमई के विवरणों पर आधारित एमएसएमई स्वास्थ्य ट्रैकर है, जो सिडबी-ट्रांसयूनियन सिबिल का संयुक्त प्रयास है। एमएसएमई पल्स 14 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। रिपोर्ट के अब तक 11 संस्करण जारी किए जा चुके हैं।

#### क्रिसिडेक्स

यह सर्वेक्षणगत तिमाही के लिए लगभग 1,100 एमएसई के गुणात्मक सर्वेक्षण पर आधारित एक संवेदी सूचकांक है, जो सिडबी-क्रिसिल का संयुक्त सूचना उत्पाद है। यह सूचकांक एमएसई के ज़मीनी स्तर के रुझानों का आकलन करता है। रिपोर्ट के अब तक दस संस्करण जारी किए जा चुके हैं।

#### माइक्रोफाइनेंस पल्स

सिडबी-इक्विफैक्स की संयुक्त पहल वाली यह रिपोर्ट इक्विफैक्स डेटाबेस पर आधारित एक त्रैमासिक रिपोर्ट है, जो माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में ऋण संबंधी रुझान और अन्य अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती है। रिपोर्ट 14 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जा रही है। अब तक इस रिपोर्ट के आठ संस्करण जारी किए जा चुके हैं।

#### इंडस्ट्री स्पॉटलाइट

सिडबी-सीआरआईएफ़ हाईमार्क की संयुक्त पहल वाली यह रिपोर्ट एमएसएमई के उद्यम-समूह पर संकेंद्रित होने के साथ, प्रमुख उद्योग क्षेत्रों के ऋण-डेटा पर आधारित एक त्रैमासिक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट तीन भारतीय भाषाओं में जारी की जा रही है और अब तक इसके तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।

#### फिनटेक पल्स

सिडबी-इक्विफैक्स की संयुक्त पहल वाली फिनटेक पल्स, भारत में फिनटेक वित्तीयन से संबंधित एक त्रैमासिक रिपोर्ट है, जिसमें नए ज़माने की फिनटेक कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब तक इसके दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।

## समूहक की भूमिका

**उद्यममित्र पोर्टल** - यह सार्वभौमिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका लक्ष्य न केवल ऋण देने के लिए, बल्कि अनेक ऋणाधिक सेवाओं के लिए 'आद्योपांत' समाधान प्रदान करना है।

इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत् हैं -

### व्यापक पहुँच

- 1.56 लाख से अधिक शाखाओं के साथ 400 से अधिक ऋणदाता
- 4,500 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) / नगरपालिकाएँ सम्मिलित

### यथा मार्च 2021 तक पोर्टल पर पंजीकरण

- 9.46 लाख से अधिक पंजीकरण तथा 2.59 लाख से अधिक ऋण आवेदनपत्र प्रस्तुत
- 1.20 लाख से अधिक ऋण मंज़ूर, जिनकी कुल राशि ₹26,500 करोड़ है
- स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत 1.15 लाख से अधिक ऋण मंज़ूर, जिनकी कुल राशि ₹25,900 करोड़ है

### हैंडहोल्डिंग सहायता

- 8,000 से अधिक सक्रिय हैंडहोल्डिंग एजेंसियों का विवरण उपलब्ध

### पोर्टल पर डिजिटल पेशकश

- उभरते उद्यमियों के मार्गदर्शन के लिए कृत्रिम बुद्धि पर आधारित समृद्धि नामक प्रतीयमान सहायक (चैटबोट)
- बैंक-ऋण-पात्रता (बैंकेबिलिटी) किट- एमएसएमई उद्यमियों के लिए समग्र मार्गदर्शिका
- 325 मॉडल परियोजनाओं की रूपरेखाएँ
- एमएसएमई इकाइयों की सुविधा के लिए सूचना और ज्ञान शृंखलाएँ
- सुलभ संदर्भ के लिए सब्सिडी योजनाओं का विवरण
- एमएसएमई कोविड शृंखला, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और दृश्य-श्रव्य सामग्रियाँ

## भारत सरकार के प्रमुख मिशन कार्यक्रमों को सशक्त बनाना

उद्यमीमित्र पोर्टल भारत सरकार के प्रमुख मिशन कार्यक्रमों को भी सशक्त कर रहा है, जैसे - पीएम स्वनिधि योजना और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि।

### पीएमस्वनिधि

पटरी दुकानदारों (स्ट्रीट वेंडर) को कागजपत्र-विहीन ऋण सुगम बनाना

- यथा 31 मार्च, 2021 तक 41 लाख से अधिक ऋण आवेदनपत्र प्राप्त और ₹2,300 करोड़ राशि की लगभग 24 लाख मंजूरियाँ संसाधित की गई।
- नौ माह की अल्प अवधि में 20 लाख से अधिक विक्रेताओं को ₹2,000 करोड़ की ऋण राशि संवितरित हुई।

### एएचआईडीएफ

- यथा 31 मार्च, 2021 तक प्राप्त हुए 650 से अधिक ऋण आवेदनपत्रों में से ₹950 करोड़ मूल्य के 74 आवेदनपत्र पात्र माने गए।
- 17 आवेदनपत्र अनुमोदित किए गए।

**स्टैंडअप इंडिया मिशन को बढ़ावा देना-** अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति और महिला आकांक्षियों के लिए जागरूकता, संपर्क और व्यवसाय अवसर पैदा करने के लिए राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम आयोजित किए गए।

**स्वावलंबन संकल्प**

- डीआईसीसीआई के सहयोग से
- 31 मार्च, 2021 तक, 27 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें 4,000 से अधिक आकांक्षी शामिल हुए।

**स्वावलंबन सशक्त**

- भारतीय महिला उद्यमी परिसंघ के सहयोग से
- 31 मार्च, 2021 तक, 10 वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 900 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

## सुगमकार भूमिका

विभिन्न सरकारी सब्सिडी योजनाएँ, जैसे - सीएलसीएसएस, टीयूएफ़एस, आईडीएलएसएस, एफपीटीयूएफ़एस और टीईक्यूयूपी लागू करने के लिए भारत सरकार ने बैंक को नोडल एजेंसी की भूमिका सौंपी है।

संचयी रूप से, बैंक ने 31 मार्च, 2021 तक 47,176 एमएसएमई को ₹3,900.46 करोड़ की सब्सिडी जारी की है।

सीएलसीएसएस के अंतर्गत, 40,742 इकाइयों को कुल ₹2,605.82 करोड़ मूल्य के पूँजीगत सब्सिडी दावे जारी किए गए हैं। वित्तवर्ष 2021 के दौरान 6,142 इकाइयों को कुल ₹438.56 करोड़ के दावे जारी किए गए हैं।

एससीएलसीएसएस के अंतर्गत, वित्तवर्ष 2021 के दौरान 209 इकाइयों को कुल ₹24.49 करोड़ के दावे जारी किए गए हैं।

टीयूएफएस के अंतर्गत, 31 मार्च, 2021 तक 3,362 दावों के संबंध में ₹879.25 करोड़ की राशि की पूँजीगत सब्सिडी और ब्याज प्रोत्साहन जारी किए गए।

सीएलसीएसएस-टीयू योजना के साथ सम्मेलित टीईक्यूयूपी के अंतर्गत, 31 मार्च, 2021 तक 1,044 इकाइयों को ₹81.35 करोड़ के सब्सिडी दावे जारी किए गए।

### एमएसएमई के लिए वर्द्धमान ऋण हेतु ब्याज अनुदान सहायता योजना - 2018

- 31 मार्च, 2021 तक 62 पात्र ऋणदात्री संस्थाओं को ₹975 करोड़ जारी किए गए हैं, जिससे 22.71 लाख एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं, जिनमें से 18.94% महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम हैं।

### मुद्रा के लिए ब्याज अनुदान सहायता योजना - शिशु ऋण

- योजना के अंतर्गत कुल बज़ट ₹1,542 करोड़ है।
- 92 सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के कुल ₹379.39 करोड़ के दावों का निपटान किया गया, जिससे 3.26 करोड़ शिशु उधारकर्ता लाभान्वित हुए।

### विस्तारित आंशिक ऋण गारंटी योजना (पीसीजीएस 2.0)

- उन गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों /एचएफ़सी /अल्पवित्त संस्थाओं की अस्थायी चलनिधि/ नक़दी प्रवाह की कमियाँ दूर करने के लिए, जो अन्यथा शोधनक्षम हैं।
- यथा 31 मार्च, 2021 तक, समूहित आस्तियों के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग को कुल ₹13,760.38 करोड़ के 59 प्रस्तावों की अनुशंसा की गई है।
- यथा 31 दिसंबर, 2020 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों / एचएफ़सी /एमएफ़आई से खरीदी गई /खरीदी जाने वाली संविभाग गारंटी के ₹22,217 करोड़ मूल्य के प्रस्तावों की सूचना दी है।

### प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

- रेहड़ी-पटरी वालों को प्रति व्यक्ति ₹10,000 तक का संपार्श्विक प्रतिभूति-रहित कार्यशील पूँजी सावधि ऋण सुविधा देना।
- योजना के अंतर्गत आवेदनपत्र प्राप्त करने के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप आरंभ किया गया।

### पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना

- निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ₹15,000 करोड़ की निधि।
- बैंक योजना का कार्यान्वयन भागीदार है।
- वित्तवर्ष 2021 के दौरान, अनुसूचित बैंकों ने ₹660 करोड़ की राशि मंज़ूर की।
- ₹12.74 करोड़ की ब्याज अनुदान सहायता जारी की गई।

### सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)

- वित्तवर्ष 2021 के दौरान, 38 एमएसई-सीडीपी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया है, जिनकी परियोजना लागत ₹441.85 करोड़ और तत्संबंधी अनुदान राशि ₹291.28 करोड़ है।

# अध्याय 3 संवर्द्धनशील एवं विकासपरक पहलक़दमियाँ

बैंक की संवर्द्धनशील एवं विकासपरक (पीएंडडी) पहलक़दमियों का ताना-बाना मिशन स्वावलंबन के इर्द-गिर्द बुना हुआ है, जिसके चार सुस्पष्ट स्तंभ हैं- संपर्क, संवाद, सुरक्षा और संप्रेषण (4स) और पाँचवाँ स्तंभ है 'संगम', यानी उक्त चारों स्तंभों का मिलन-बिंदु।

## संपर्क - अर्थात् "एमएसएमई और उद्यमियों के साथ जुड़ने" का प्रतीक

### स्वावलंबन संपर्क केंद्र (एससीके)

- आकांक्षी उद्यमियों के मार्गदर्शन और पथ-प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना तथा ओडिशा के 100 ज़िलों में परामर्श-केंद्रों के रूप में कार्यरत।
- वित्तवर्ष 2021 में 1,000 से अधिक उद्यम (36% महिला-नेतृत्व वाले) स्थापित किये।

### ई-उद्यम संज्ञान

- ट्रेड्स, जेम्स के नवयुगीन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों से संबंधित विषयों पर आधारित वेब-गोष्ठियों की शृंखला।
- विषय-क्षेत्र के ज्ञान तथा नैगम अभिशासन से संबंधित मध्यम व बड़े उद्योगों के प्रतिनिधियों के सत्र।
- वित्तवर्ष 2021 में 15 कार्यक्रम संपन्न, जिससे 600 से अधिक एमएसई लाभान्वित।

### स्वावलंबन डिजि-ज्ञानशाला

- उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए आईवीआर तथा 'स्वावलंबन डिजि-ज्ञानशाला' नामक वेबऐप आरंभ करने के लिए सीडीएफ़आई के साथ साझेदारी की गई।
- इस प्रयास में 1.15 लाख आकांक्षी सम्मिलित किए गए हैं।

### असोमी सारस मेला 2021

- असोमी सारस मेला 2021 के आयोजन हेतु एएसआरएलएम को सहायता दी गई।
- एएसआरएलएम के तत्त्वावधान में विकसित सभी एसएचजी उत्पादों के लिए असोमी को एक सामूहिक ब्रांड के रूप में विकसित किया गया है।
- 113 स्टॉलों पर 14 दिन में ₹4.18 करोड़ की बिक्री दर्ज़ हुई।

## संवाद - एमएसएमई क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के मध्य संबंध सुदृढ़ करने के लिए संवाद

**एसआरएफ़ के अंतर्गत स्वावलंबन संकट उत्तरदायी कोष (एससीआरएफ़)**

- एमएसएमई को ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म से नि:शुल्क जोड़ने में मदद करने के लिए एफ़सीडीओ, यूनाइटेड किंगडम सरकार की सहायता से एससीआरएफ़ की स्थापना की गई।
- पोर्टल से 11,600 से अधिक एमएसएमई जोड़े गए।

**डिजिटल उत्पाद**

- एमएसएमई पारितंत्र के सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए उद्यमी मित्र / स्टैंडअप इंडिया पोर्टल के माध्यम से एक प्रतीयमान पारितंत्र निर्मित किया गया।

## सुरक्षा - एमएसएमई के विकास के लिए समर्थकारी परिवेश सृजित करना

### कोवे मार्ट

- डिजिटल संपर्क के लिए, व्हाट्सऐप के माध्यम से क्रेता-विक्रेता को एक क्लिक से जोड़नेवाली प्रयोक्ता-अनुकूल सुविधा के रूप में कोवे मार्ट तैयार किया गया।
- इस पोर्टल से 98 महिला उद्यमियों को जोड़ा गया है।

### अनुकरणीय उद्यमी (रोल मॉडल)

- 20 से अधिक गतिविधियों के माध्यम से चार राज्यों के 11 ज़िलों में 76 अनुकरणीय उद्यमियों की मदद की गई।
- इसके परिणामस्वरूप, इन अनुकरणीय उद्यमियों की मासिक आय में ₹2,750 से लेकर ₹20,000 तक, लगभग 70% से अधिक की वृद्धि हुई और इनकी कुल मासिक आय लगभग ₹6 लाख हो गई।

## संप्रेषण - नीति निर्माताओं और एमएसएमई उद्यमियों के साथ रचनात्मक संवाद

### परियोजना प्रबंध इकाई (पीएमयू)

11 राज्यों, अर्थात् असम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पीएमयू की स्थापना की गई।

इनकी स्थापना का लक्ष्य एमएसएमई पारितंत्र को सुदृढ़ बनाना और शैक्षिक सत्रों के माध्यम से एक-दूसरे की अच्छी प्रथाएँ सीखना /उनका आदान-प्रदान करना है।

### स्वावलंबन सूचना श्रृंखलाएँ

ज्ञान श्रृंखला, सूचना श्रृंखला, रेडियो जिंगल, वीडियो, आदि जैसे डिजिटल उत्पादों की शृंखला तैयार की गई।

वित्तवर्ष 2021 के दौरान, इसके पाँच खंड जारी किए गए और उन्हें हितधारकों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

## संगम - "मिलन बिंदु", जिसमें 4स स्तंभों में से एक से अधिक स्तंभों के गुण सम्मिलित होते हैं

### स्वावलंबन सिलाई स्कूल

- इनका लक्ष्य उषा इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में अनुकरणीय "गृह-उद्यमी " बनाना और उन्हें बढ़ावा देना है।
- सात राज्यों के 24 ज़िलों के 1,638 गाँवों में सिलाई स्कूल खोले गए।
- गृह-उद्यमियों ने आगे 16,982 शिक्षार्थियों को नामांकित किया - अर्थात् प्रति प्रत्यक्ष लाभार्थी औसतन 10 नए नामांकन।

### सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम

- रोज़गार सृजन के लिए व्यवहार्य सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने का लक्ष्य।
- वर्तमान में, सात सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम चल रहे हैं।
- वित्तवर्ष 2021 के दौरान, 48 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनसे 3,337 प्रतिभागी लाभान्वित हुए और 420 उद्यमों की स्थापना हुई, जिनमें 1,866 व्यक्तियों को रोज़गार मिला।

### ईयू स्विच एशिया बाँस परियोजना

- इसका लक्ष्य बाँस आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 5 राज्यों सहित 9 पिछड़े राज्यों में हरित रोज़गार पैदा करना है।
- 1,373 बाँस आधारित उद्यमों में से 900 उद्यम वित्तवर्ष 2021 के दौरान स्थापित/उन्नत किए गए।
- इस पहल के तहत 4,215 बाँस कारीगर लाभान्वित हुए, जिनमें से 2,500 वित्तवर्ष 2021 में लाभान्वित हुए।

### सफाई और स्वच्छता उद्यमी (एसएचई)

- कीटाणुशोधन संबंधी प्रशिक्षण तथा संपोषण सहायता प्रदान कर, अनौपचारिक कार्यबलों के पुनर्निर्माण के संबंध में प्रायोगिक कार्यक्रम, जिनमें मुख्यत: महिलाएँ सम्मिलित हैं।
- 23 राज्यों में 650 एसएचई सम्मिलित किए गए और इससे कुल ₹92 लाख की आय अर्जित की गई।

### वित्तीय साक्षरता के लिए स्वावलंबन सहायता : गाँवों का अंगीकरण तथा ऋण एवं बाज़ार संबंधी संपर्क-सूत्र - सफल

- बिहार और झारखंड राज्यों में 120 गाँव अपनाए गए।
- प्रवासियों सहित 2,400 आजीविका वाले व्यक्तियों को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके लिए ऋण एवं बाज़ार संपर्क सुनिश्चित किया गया।

### स्वावलंबन स्वाभिमान

- माइक्रोफाइनेन्स एसोसिएशन ऑफ़ उत्तर प्रदेश (उपमा) के साथ साझेदारी की गई।
- इसका लक्ष्य 100 युवा आकांक्षियों/कारीगरों, मुख्य रूप से महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना है।

### ग्रामीण नवोन्मेष प्रोत्साहन

- इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड में, आईटीआई/पॉलीटेक्निक पर जोर देते हुए, 50 ग्रामीण नवोन्मेषों को बढ़ावा देना /उनका व्यावसायीकरण करना है।
- 18 ग्रामीण नवोन्मेषों के लिए सहायता दी गई।

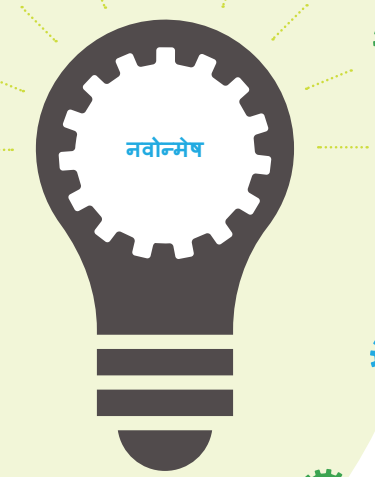


### आकांक्षी स्वावलंबियों को जोड़ने के लिए सिडबी की सहायता - साहस

- गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, त्रिशूर में 'एमएसएमई समाधान के लिए स्वावलंबन पीठ' की स्थापना।
- इसका लक्ष्य संस्था और क्षेत्र में उद्यमशीलता संस्कृति का निर्माण करना है।

### सिमैप - केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सिमैप)

- इसका लक्ष्य औषधीय और सगंध पौधों की विभिन्न प्रजातियों से गुणवत्तापूर्ण सामग्री के उत्पादन में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना है।
- वित्तवर्ष 2021 के दौरान, ऑनलाइन स्टुप आयोजित किए गए, जिनसे 292 आकांक्षी लाभान्वित हुए।

### बैंक सखी कार्यक्रम

- ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से निर्धन महिलाओं को वैकल्पिक बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए बिहार के एसआरएलएम, जीविका के साथ भागीदारी की गई।
- बिहार के 36 ज़िलों में 1,640 से अधिक बैंक सखियाँ बनाई गई हैं।
- इस पहल से 250 किराना स्टोर/ग्रामीण खुदरा दुकानों की स्थापना में भी मदद मिली।

### श्वास - उद्यमिता ऊर्जा का संचार

- मुक्ति की सहायता से, अम्फान चक्रवात और वैश्विक महामारी के बाद संघर्षरत पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में स्वावलंबन त्वरक स्थापित किया गया।
- स्वसहायता समूहों की 1,000 महिलाओं को हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- 20,000 लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुँचने की आशा है।

### लेह में स्वावलंबन आजीविका वृद्धि और जागरूकता कार्यक्रम (एलईएपी)

- इसका लक्ष्य, लेह में सी बकथॉर्न-आधारित आजीविका परियोजनाओं के लिए सहयोग करना है।
- 75 उद्यमियों को समाहित करते हुए 15 उद्यम स्थापित करने और उनसे 750 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।

### स्वावलंबन दिव्यांगजन सहायक तकनीकी-बाज़ार पहुँच (एटीएमए)

- स्वावलंबन - सोशल अल्फा के सहयोग से एटीएमए फंड शुरू किया गया।
- इसका लक्ष्य अंतिम उपयोगकर्ताओं, मुख्य रूप से दिव्यांगजनों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी समाधान का समावेश आसान बनाना है।
- अगले दो वर्षों में लगभग 1,000 लोगों के लाभान्वित होने की आशा है।

### सिडबी वित्तीय समावेशन नवोन्मेष केंद्र / एससीआईएफ़आई

- वित्तीय समावेशन पर काम करने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, आईआईएम, लखनऊ में स्थापित।
- 31 मार्च, 2021 तक 24 नवोन्मेषी स्टार्टअप को एससीआईएफ़आई द्वारा सहयोग दिया जा रहा है।

### सामाजिक उद्यम व प्रभावोत्पादक निवेश

- इसका लक्ष्य, समृद्धि निधि और इसकी निवेशिती कंपनियों को सहयोग देना है।
- निधि स्तर पर, यह सहायता ईएसजी को सुदृढ़ बनाने और प्रभाव दर्शाने के लिए है।

## नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

**सीएसआर के अंतर्गत प्रमुख मार्गदर्शी कार्यक्षेत्र निम्नवत हैं :**

### पर्यावरण

- वालजाबाद के निकट नेकुप्पम तालाब की गाद निकालने और उसके जीर्णोद्धार के लिए सहयोग किया गया, जिससे 240 परिवार लाभान्वित हुए।
- बैंक ने इरोड ज़िले में गाद से भरे मलयमपालयम चेक डैम की गाद निकालने और उसे गहरा करने के लिए भी सहायता की है।
- इससे मलयमपालयम गाँव में 300 एकड़ से अधिक कृषि भूमि और 750 परिवार लाभान्वित हुए।

### सशक्तीकरण

- आजीविका के लिए स्वावलंबन का सहारा देने के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और व्हीलचेयर वितरित किए गए।
- पारंपरिक पलमायरा (खजूर वृक्ष) पत्ता हस्तशिल्प व्यवसाय शुरू करने के लिए पुलिकट में 20 मछुआरिनों के समूह की सहायता की गई।
- पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना ज़िले में अम्फान चक्रवात से प्रभावित छह गाँवों में 40 परिवारों को आजीविका बहाली के लिए सहायता दी गई।

### सक्षम बनाना

- पैरा एथलीटों के प्रोत्साहन के लिए, भारत की पैरालिंपिक समिति को खेल किट, खेल उपकरण और इलेक्ट्रिकल सामग्रियाँ देकर सहायता की गई।
- कई बुनियादी ढाँचागत परियोजनाएँ चलाई गई, जैसे - तीन रोगी सुविधा केंद्र, पाँच स्मार्ट क्लासरूम/आर्ट रूम तथा चार वाटर एटीएम की संस्थापना और एम्बुलेंस का दान, आदि।

## कोविड वैश्विक महामारी के दौरान समर्थन

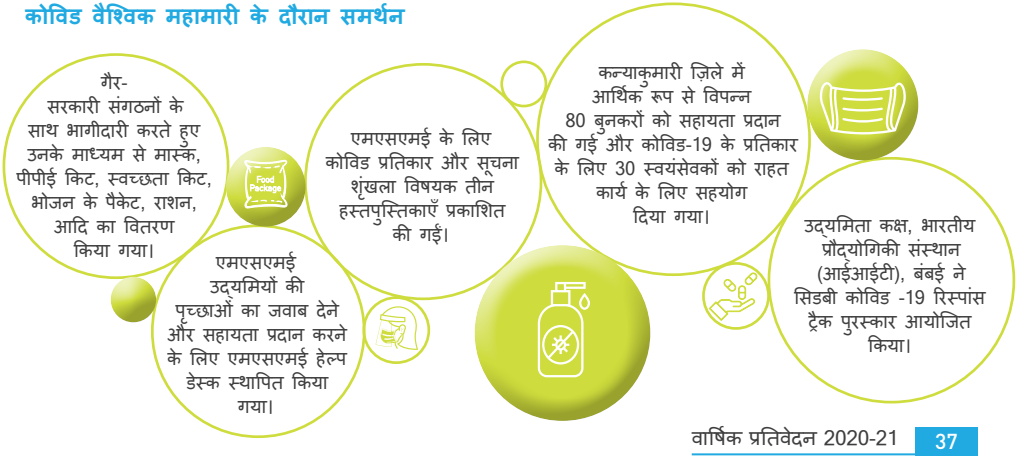

## सहायक /सहयोगी संस्थाएँ - राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावकारी :

### सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) (1999)

- यह निवेश प्रबंध कंपनी है, जो वर्तमान में आठ निधियों के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करती है और जिनकी आहरण-योग्य समूह-निधि ₹1,722.76 करोड़ है और बकाया समूह-निधि ₹794.04 करोड़ है।
- न्यू होराइज़न निधि की लक्ष्य समूह-निधि ₹500 करोड़ है और यह फिनटेक, उपभोक्ता-केंद्रित अभिनव उत्पादों, हरित प्रौद्योगिकी और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर केंद्रित है। इसने यथा 31 मार्च, 2021 तक प्रतिबद्धता के रूप में ₹130 करोड़ प्राप्त किए हैं।
- उभरते सितारे निधि जुलाई 2021 में पंजीकृत की गई और यह अच्छी निर्यात क्षमता वाली एमएसएमई इकाइयों को ईक्विटी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए ₹1,000 करोड़ रुपये की योजना है। इसे एक्जिम बैंक और सिडबी के सहयोग से संचालित किया जाना है।

### माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट ऐंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) (2015)

- 31 मार्च, 2021 को, इसका बकाया संविभाग ₹13,627 करोड़ था।
- मुद्रा ने वित्तवर्ष 2021 के दौरान ₹12,303 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की है।
- 31 मार्च, 2021 को, मुद्रा की संचयी मंज़ूरियाँ और संवितरण क्रमशः ₹39,453 करोड़ रुपये और ₹37,799 करोड़ रुपये थे।

### उड़ान ब्रांड के रूप में परिचालनरत क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसई (सीजीटीएमएसई) (2000)

- ₹2 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधाओं के संबंध में एमएसई के लिए ऋण गारंटी योजना।
- 31 मार्च, 2021 तक संचयी रूप से 51.42 लाख एमएसई ऋण खातों के लिए गारंटियाँ मंज़ूर की गई, जिनकी ऋण राशि ₹2.58 लाख करोड़ थी।
- कुल मिलाकर 2.79 लाख दावों का निपटारा किया गया, जिनकी कुल राशि ₹7,085.66 करोड़ थी।
- वित्तवर्ष 2021 के दौरान, ₹36,899 करोड़ की राशि की 8,35,592 गारंटियाँ मंज़ूर की गईं।
- सहायताप्राप्त इकाइयों ने लगभग 132 लाख रोज़गार सृजित किए हैं और निर्यात में ₹16,550 करोड़ रुपये का योगदान किया है।

### रिसेवेबल एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) (2016)

- यह एमएसएमई ऑनलाइन ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग प्रणाली (ट्रेड्स) का संचालन करने वाला सिडबी-एनएसई का संयुक्त उद्यम है।
- 31 मार्च, 2021 को, इसके पास 7,134 एमएसएमई विक्रेता, 629 क्रेता, और 42 वित्तपोषक पंजीकृत थे।
- 31 मार्च, 2021 को, आरएक्सआईएल ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ने 4,96,102 से अधिक बीजकों के प्रति कुल ₹10,318.93 करोड़ मूल्य की संचयी फ़ैक्टरिंग (वित्तपोषण) की।

### एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूइट) (2005) (पूर्वकालीन स्मेरा)

- भारत की पहली एमएसएमई-केंद्रित रेटिंग एजेंसी, जो अब एक पूर्ण-सेवा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है।
- अल्पवित्त संस्थाओं (एमएफ़आई) को श्रेणीकरण (ग्रेडिंग), अनुसंधान और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करने के लिए माइक्रोफिन एनालिटिक्स का आरंभ किया।
- एक्यूइट ने 31 मार्च, 2021 तक 50,000 से अधिक एसएमई रेटिंग और 8,700 से अधिक बैंक ऋण रेटिंग पूरी की हैं।

### इंडिया एसएमई ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईएसएआरसी) (2008)

- 31 मार्च, 2021 को, लगभग ₹398.76 करोड़ की आस्तियाँ आईएसएआरसी के प्रबंधाधीन हैं।

### ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड

**पीएसबीलोन्सइन59मिनट्स**

- पहुँच और प्रदत्त ऋणों के स्वरूप के संदर्भ में सबसे बड़ा फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म।
- 31 मार्च 2021 तक, 3.97 लाख एमएसएमई इकाइयों ने प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने वाले ऋणदाताओं से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किए हैं और उनमें से 3.15 लाख एमएसएमई इकाइयों को अंतिम मंज़ूरी भी मिल चुकी है।

# अध्याय 4 प्रबंधतंत्र और नैगम अभिशासन

बैंक ने नैगम अभिशासन की सर्वोत्तम पद्धतियाँ अपनाई हैं और उनका पालन किया है, जिसके फलस्वरूप उच्चस्तरीय व्यवसायगत नैतिकता के साथ प्रभावी प्रबंध तथा सभी हितधारकों के लिए वर्द्धित मूल्य सुसाध्य हुए हैं।

**निदेशक-मंडल का संघटन**

सिडबी अधिनियम में 15 निदेशकों वाले निदेशक-मंडल का प्रावधान है।

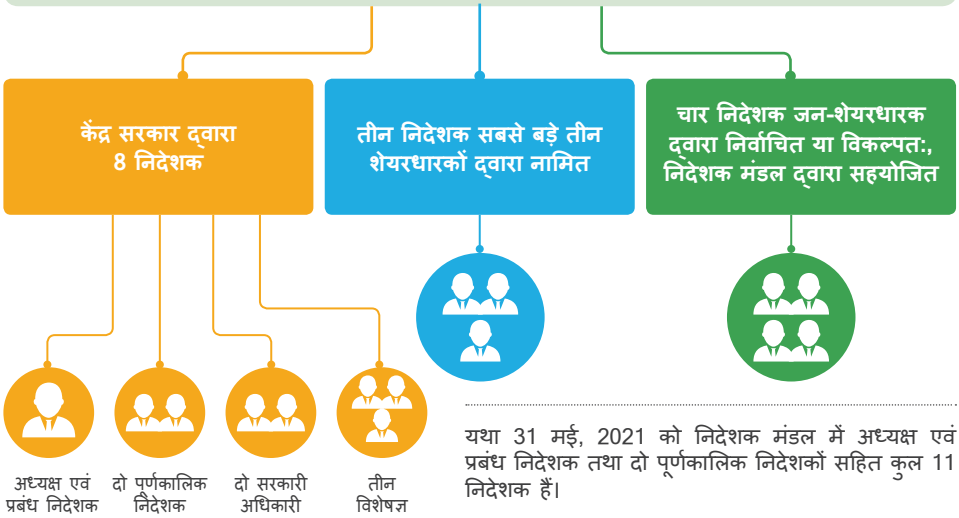


यथा 31 मई, 2021 को निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दो पूर्णकालिक निदेशकों सहित कुल 11 निदेशक हैं।

बैंक के शेयरधारकों की 22वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 02 जुलाई, 2020 को लखनऊ में संपन्न हुई।

## शेयरधारिता का स्वरूप

बैंक के शेयर भारत सरकार और केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली 22 अन्य संस्थाओं /सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों /बीमा कंपनियों के पास हैं। यथा 31 मई, 2021 को प्रमुख शेयरधारकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

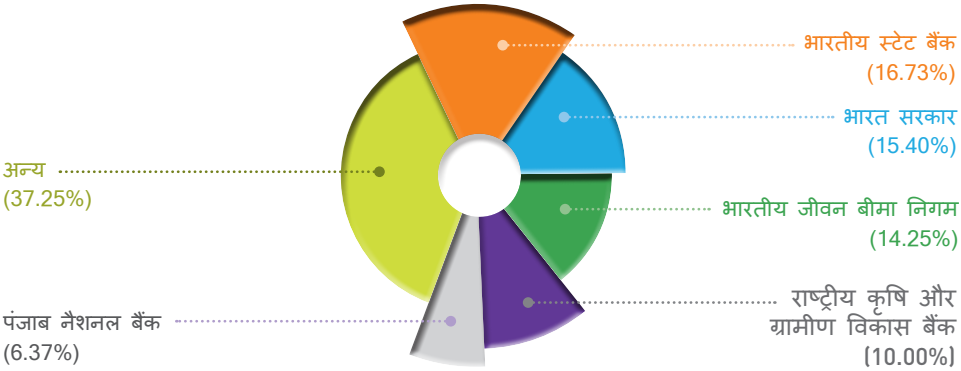

## आंतरिक समितियाँ (वित्तवर्ष के दौरान बैठकों की संख्या)

- उद्यम जोखिम प्रबंध समिति – 8 बैठकें
- कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की रोकथाम - आंतरिक परिवाद समिति – (कोई शिकायत नहीं)
- जोखिम एवं सूचना सुरक्षा समिति – 3 बैठकें
- निवेश समिति – 35 बैठकें
- व्यवसाय सातत्य प्रबंध संचालन समिति – 3 बैठकें
- आस्ति देयता प्रबंध समिति – 19 बैठकें



## जोखिम प्रबंध

बैंक ने विस्तृत जोखिम प्रबंध प्रणाली स्थापित की है, जो इसके व्यवसाय एवं अन्य परिचालनों के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील और अनुक्रियाशील है।

**उद्यम जोखिम प्रबंध (ईआरएम) - विस्तृत दस्तावेज़, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सहायक नीतियाँ सम्मिलित है -**

- ऋण नीति
- प्रतिभूति एवं संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंध नीति
- निवेश नीति
- आस्ति-देयता प्रबंध नीति
- परिचालनगत जोखिम प्रबंध नीति
- आईटी एवं साइबर सुरक्षा नीति
- व्यवसाय सातत्यता प्रबंध नीति

**आईसीएएपी नीति अवशिष्ट जोखिम, ऋण संकेंद्रण जोखिम, बैंकिंग बही में ब्याजदर जोखिम, विधिक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, आदि से संबंधित विषयों का समाधान करती है।**

**एकीकृत जोखिम प्रबंध प्रणाली (आईआरएमएस) में निम्नलिखित नीतियाँ एवं प्रणालियाँ सम्मिलित हैं**

- ऋण जोखिम प्रबंध
- बाज़ार जोखिम प्रबंध
- जोखिम आकलन मॉडल (आरएएम)
- स्मार्ट एवं प्राप्तांक-पत्र
- ओआरएम
- आईसीएएपी

बैंक ने विलुप्त डेटा प्रग्रहण, प्रमुख जोखिम संकेतक तथा जोखिम एवं नियंत्रण के स्व-मूल्यांकन के लिए एक व्यापक परिचालन जोखिम मूल्यांकक (कोर) प्रणाली क्रियान्वित की है।

## गैर-निष्पादक आस्ति प्रबंध

### परिचालन संबंधी उपाय

- एक वसूली कक्ष को विशिष्ट आस्ति वसूली शाखा में स्तरोन्नत किया गया, 31 मार्च, 2021 तक कुल 8 विशिष्ट आस्ति वसूली शाखाएँ।
- ऋण वसूली नीति को सरल और अधिक व्यावहारिक बनाया गया।
- आस्तियों की बिक्री, आरक्षित मूल्यों का परिकलन और एकबारगी निपटान ज्ञापन के लिए विभिन्न परिदृश्यों प्रगृहीत करने के लिए स्वचालित मॉड्यूल आरंभ किए गए।

### परिचालन की निगरानी एवं समीक्षा

- निदेशक-मंडल स्तर की वसूली समीक्षा समिति ₹3 करोड़ या उससे अधिक बकायाराशि वाली सभी गैर-निष्पादक आस्तियों की समीक्षा करती है।
- प्र. का. एवं परिचालन कार्यालयों के बीच आवधिक विचार-विमर्श।
- एसएमए खातों की पाक्षिक समीक्षा के लिए दबावग्रस्त आस्ति निगरानी समिति।

## आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंध

**परिचालनगत -**

- शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्र.का. के चुनिंदा उद्-भागों की परिचालनगत लेखापरीक्षा
- प्र.का. के उद्-भागों की प्रबंध लेखापरीक्षा
- सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा
- धोकाधड़ी वाले मामलों की विशेष लेखापरीक्षा
- समवर्ती लेखापरीक्षा कार्य की पर्यवेक्षण
- बाह्य लेखापरीक्षा फ़र्मों द्वारा सीवीपीसी, डीसीवी, आईएफ़वी, वीसीएफ़, एआईसी और एसएएनएमवी सहित टीआरएमवी और प्रशासन उद्-भाग की संपन्न मासिक समवर्ती लेखापरीक्षा की रिपोर्टों की समीक्षा।
- प्रत्यक्ष ऋण योजनाओं के अंतर्गत ₹7.5 करोड़ से अधिक के ऋण-जोखिम सीमा वाले मामलों के लिए क्षे.का. के माध्यम से ऋण लेखापरीक्षा, और अन्य मामलों के लिए नमूना आधार पर 10% मामलों में ऋण लेखापरीक्षा।

**वित्तवर्ष 2021 के दौरान प्रमुख उल्लेखनीय तथ्य**

- 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, 36 शा.का. में समवर्ती लेखापरीक्षा व्यवस्था की गई, जिसमें 82 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष ऋण परिचालन समाहित है।
- 77 शा.का./क्षे.का./प्र.का. के उद्-भागों की परिचालनगत लेखापरीक्षा
- 57 शा.का. की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

## मानव संसाधन - रोधक्षमता और पुनरुत्थान का वर्ष

बैंक अपने मानव संसाधन को अपनी मूल्यवान आस्ति मानता है। बैंक के कर्मचारी, इसकी प्रक्रियाएं और इसकी प्रौद्योगिकी - ग्राहक सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तुलनात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यबल का ज्ञान, उसका कौशल और विविधता महत्वपूर्ण है। एमएसएमई क्षेत्र में रूपान्तरण के अपने प्रकार्य को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए बैंक अपने मानव संसाधन को व्यावसायिक कार्यनीति के साथ सतत संरेखित कर रहा है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी की अभूतपूर्व घटना ने मार्च 2020 में व्यवसाय में गतिरोध ला दिया था। विगत वित्तीय वर्ष - भविष्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा के संदर्भ में अनिश्चितता और भय के साथ शुरू हुआ। बैंक ने न केवल अपने लोगों की अपितु अपने ग्राहकों की भी सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की।

कोविड ने हमें न केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखने की सीख दी अपितु समग्र रूप से एक बेहतर संस्थान के रूप में उभरना भी सिखाया है।

### क वर्ष के दौरान बैंक द्वारा की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

**कोविड-19 प्रबंधन** - कोविड के लिए निर्धारित, उपयुक्त प्रोटोकॉल / व्यवहार को संबंधित कार्यालयों ने अपनाया। कोविड प्रबंधन के संबंध में पूरे कार्य की निगरानी के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाए गए। आवास से कार्य सहित लचीले कार्य समय द्वारा यह सुनिश्चित किया कि शाखाओं में कार्य जारी रहे ताकि ग्राहक प्रभावित न हों। इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान किया गया। बैंक ने अपोलो हॉस्पिटल्स के सहयोग से प्रमुख मेट्रो शहरों में क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए टाई-अप की व्यवस्था भी की। भारत में कोविड के टीकाकरण की शुरुआत के साथ, बैंक ने आवश्यक व्यवस्था की, अभियान चलाए और अपने सभी पात्र कर्मचारियों को टीकाकरण का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके द्वारा बैंक अपने कार्यालयों के भीतर व्यापक प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम रहा है और शुरू की गई सभी सरकारी योजनाओं और कोविड केन्द्रित विशेष योजनाओं के सामयिक कार्यान्वयन के द्वारा व्यवसायिक निरंतरता सुनिश्चित की है। बैंक ने कोविड-19 निधियों से संबंधित भारत सरकार आदि की कल्याणकारी गतिविधियों को भी सुगम बनाया, इसमें कर्मचारियों ने पूरे दिल से भाग लिया।

**कर्मचारी हितैषी पहल** - महामारी से उत्पन्न जोखिमों के कारण, वार्षिक स्थानान्तरण कम से कम किए गए। अधिकारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ व्यवसाय की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए नए कार्यालय को ऑफसाइट रिपोर्टिंग की अवधारणा लाई गई। कर्मचारियों और परिवारों को असुविधा से बचाने के लिए रिपोर्टिंग समय में विस्तार की अनुमति दी गई।

**नेतृत्व विकास** - ग्रेड 'डी', 'ई' और 'एफ' अधिकारियों के लिए उनके नेतृत्व गुणों के विकास हेतु ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

## ख मानव संसाधन की संख्या

31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, बैंक में 1,013 सक्रिय पूर्णकालिक कर्मचारी थे, जिनमें 891 अधिकारी, 93 श्रेणी III कर्मचारी और 29 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल थे।

कुल कर्मचारियों में से 177 (कुल कर्मचारियों की संख्या का 17.47%) अनुसूचित जाति (एससी), 74 (7.31%) अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 204 (20.14%) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित हैं। कर्मचारियों की संख्या में 29 दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और 2 पूर्व सैनिक शामिल हैं। सिडबी में रोस्टरों का भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रखरखाव किया जाता है और मुख्य संपर्क अधिकारियों द्वारा वार्षिक जांच की जाती है और इसकी समय-समय पर भारत सरकार द्वारा भी समीक्षा की जाती है। 31 दिसंबर, 2020 तक की स्थिति को रोस्टर में अद्यतन किया गया है।

बैंक अपने महिला कार्यबल के संबंध में एक समान अवसर प्रदान करने वाला नियोक्ता है। इसका उद्देश्य पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही और अधिक से अधिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही महिलाओं को समान और निष्पक्ष अवसर प्रदान करना है। सिडबी के कुल 1,013 कर्मचारियों में महिला कर्मचारियों की संख्या 229 (23%) है। बैंक समय-समय पर ऐसी नीतियां लाता रहा है जो महिला कर्मचारियों को बेहतर कार्य जीवन संतुलन के प्रबंधन में सहयोग प्रदान करता है।

## ग यौन उत्पीड़न की रोकथाम- आंतरिक शिकायत समिति

बैंक महिला कार्यबल हेतु सकारात्मक और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाने को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, महिला कर्मचारियों को पद स्थापना, स्थान नियोजन या छुट्टी के मामले में बेहतर कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए सभी सहायता प्रदान की जाती है। बैंक महिला कर्मचारियों को एमएसएमई क्षेत्र के विकास में अपना योगदान जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक ने यौन उत्पीड़न उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों की शिकायतों के निवारण के लिए चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली में आंतरिक शिकायत समितियां स्थापित की हैं। वर्ष के दौरान, समितियों को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

## घ अध्ययन एवं विकास

बैंक की मानव संसाधन कार्यनीति में प्रशिक्षण और विकास एक अभिन्न अंग रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, एमएसएमई इकाईयों के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में सिडबी की भूमिका, नीतियों के पक्षसमर्थन, संवर्द्धन एवं विकास, एमएसएमई इकाईयों से जुड़े विभिन्न संस्थानों के साथ समन्वय, उद्यमिता पर पथप्रदर्शन आदि पर अधिक ध्यान देने के साथ इसमें विस्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष वित्त परिचालन पर नए सिरे से जोर देने के साथ, सिडबी के नए दृष्टिकोण और उद्देश्यों के साथ स्टाफ कौशल को संरेखित करना लाजिमी हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, मानव संसाधन सलाहकारों की सिफारिशों के अनुरूप संगठनात्मक लक्ष्यों, भविष्य की व्यावसायिक अनिवार्यताओं और व्यक्तिगत कर्मचारी आवश्यकताओं के साथ प्रशिक्षण आवश्यकताओं में अधिक संरेखण प्राप्त करने के प्रयास किए गए। वर्ष की शुरुआत में, विभिन्न उद्भागों से प्राप्त निविष्टियों के साथ एक प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए) किया गया। वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कुल 1,257 नामांकन किए, जिसमें आवासीय कार्यक्रमों के लिए 1,179 नामांकन और ऊपरोल्लिखित प्रसिद्ध प्रशिक्षण / शैक्षणिक संस्थानों में 78 नामांकन शामिल हैं। कुल 1,257 नामांकनों में 241 महिलाएं नामांकित की गईं और 623 नामांकित व्यक्ति अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के थे। पिछले वित्त वर्ष में 743 कर्मचारियों की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान कुल 772 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था। वर्ष के दौरान प्रशिक्षण मानव दिवसों की कुल संख्या पिछले वित्त वर्ष में 1,785 की तुलना में बढ़कर 2,808 हो गई।

सिडबी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों / कर्मचारियों को पूर्व-पदोन्नति / पूर्व-भर्ती और सेवाकालीन प्रशिक्षण भी प्रदान करता है ताकि वे चयन की प्रक्रिया के लिए तैयार हो सकें और उन्हें सामान्य श्रेणी से आने वाले अपने समकक्ष के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल सके। कुल 157 कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें से 58 एस.सी. श्रेणी (37%), 27 एस.टी. श्रेणी (17%) और 72 (46%) कर्मचारी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के थे।

आभासी माध्यम से आवासीय कार्यक्रमों के संचालन में प्रशिक्षण प्रभाग ने सफल शुरुआत की है। वर्ष के दौरान सभी कार्यक्रम 'माइक्रोसॉफ्ट टीम' प्लेटफॉर्म पर आभासी माध्यम से आयोजित किए गए।

इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को क्रिसिल, एनएएचआरडी, एनआईबीएम, एफआईएमएमडीए, आईडीआरबीटी, सीएएफआरएएल, आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित / आयोजित विभिन्न विशिष्ट अंतर्देशीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं में भी नामित किया गया।

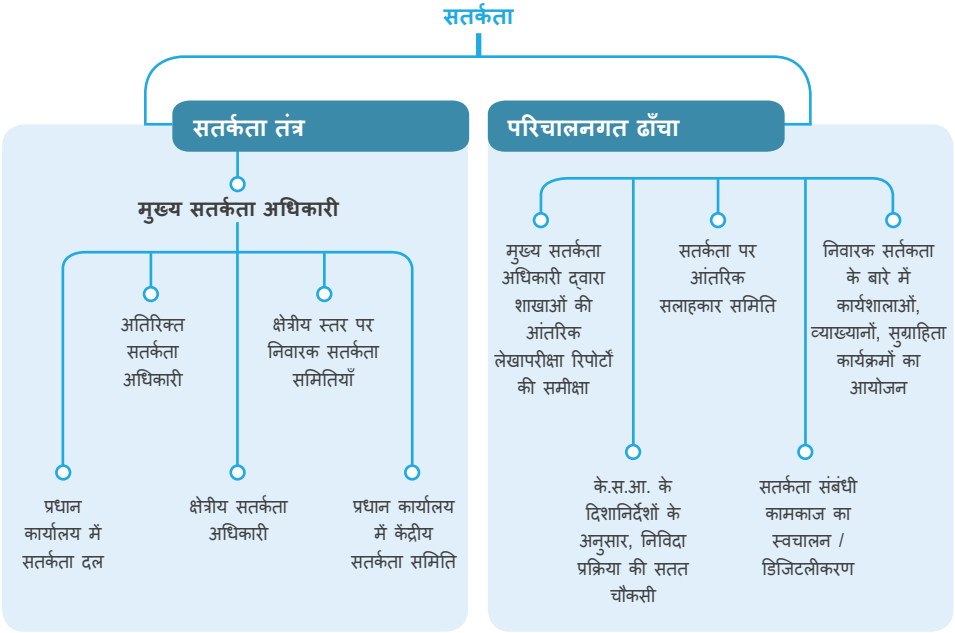


## बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

बैंक के विभिन्न कार्यालयों में 89 राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ।

'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी पत्राचार क्रमशः 98%, 90% और 72% रहा।

हिंदी प्रत्रिका 'संकल्प' के 95 अंक प्रकाशित।

'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी टिप्पणियाँ क्रमशः 85%, 82% और 75% रहीं।

वित्तवर्ष 2021 के दौरान 44 हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित।

बैंक के हिंदी अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय ई-सम्मेलन तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली, के सहयोग से गहन अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

49 कार्यालयों और 10 उद्-भागों का राजभाषा निरीक्षण किया गया।

सभी कार्यालयों में हिंदी पुस्तकालय स्थापित है और हिंदी पुस्तकें खरीदने के लिए बज़ट निर्धारित था।

16वीं अखिल भारतीय सिडबी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

वित्तवर्ष 2021 के दौरान, सूचना के अधिकार से संबंधित 191 आवेदनपत्र प्राप्त हुए और सभी आवेदनपत्र समय से निपटाए गए।

बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को 33 अपीलें प्रस्तुत की गई, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रविधानों के अनुसार निर्धारित समयसीमा में निपटाया गया।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्णयों के विरुद्ध केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष 3 अपीलें दायर की गईं और केंद्रीय सूचना आयोग ने रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सभी 3 अपीलों का निपटारा किया।

सभी त्रैमासिक ऑनलाइन विवरणियाँ केंद्रीय सूचना आयोग को समय पर प्रस्तुत किए गए हैं।

आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए बैंक के किसी भी अधिकारी पर अर्थदंड या दंड नहीं लगाया गया है।

## सूचना प्रौद्योगिकी

आधार आधारित बायोमेट्रिक और ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए ई-केवाईसी समाधान लागू किया गया।

भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित 42 सचेतक-संदेश और डीएफएस द्वारा निर्धारित 84 सचेतक-संदेश समाहित करते हुए अग्रिम चेतावनी सचेतक प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) लागू किया गया।

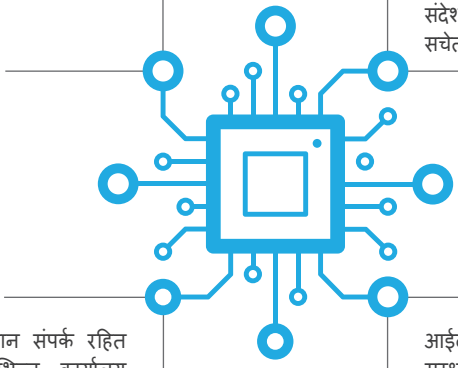

लॉकडाउन अवधि के दौरान संपर्क रहित कामकाज के लिए विभिन्न कार्यालय स्वचालन साधन, जैसे - व्यवसाय के लिए स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टीम, डीएमएस, आदि संस्थापित किए गए।

आईटी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, एक साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सीएसओसी) की स्थापना की गई, जिसे वित्तवर्ष 2021 में सक्रिय किया गया।

www.sidbi.in

**प्रधान कार्यालय**

सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग,
लखनऊ - 226001 (उत्तर प्रदेश)
फोन नंबर : 0522-2288546-49, 0522-4261600, 4259700
फैक्स नंबर : 0522-2288459

# शाखा कार्यालय यथा सितम्बर 2021

## अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय

अहमदाबाद शाखा कार्यालय, चांगोदर शाखा कार्यालय, गांधीधाम शाखा कार्यालय, जामनगर वि.शा.का., महेसाणा शाखा कार्यालय, मोरबी शाखा कार्यालय, ओढव शाखा कार्यालय, राजकोट शाखा कार्यालय, सूरत शाखा कार्यालय, वड़ोदरा शाखा कार्यालय, वटवा शाखा कार्यालय

## बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय

बेंगलुरु शाखा कार्यालय, हुबली वि.शा.का., होसुर शाखा कार्यालय, पीन्या शाखा कार्यालय, पणजी शाखा कार्यालय, कोच्चि शाखा कार्यालय, मैसूर शाखा कार्यालय

## चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय

चंडीगढ़ शाखा कार्यालय, जालंधर शाखा कार्यालय, जम्मू वि.शा.का., लुधियाना शाखा कार्यालय, शिमला वि.शा.का., यमुनानगर शाखा कार्यालय

## चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय

अम्बतुर शाखा कार्यालय, चेन्नै शाखा कार्यालय, कोयम्बतुर शाखा कार्यालय, ईरोड शाखा कार्यालय, कांचीपुरम शाखा कार्यालय, मदुरै शाखा कार्यालय, पुडुच्चेरि शाखा कार्यालय

## गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय

अगरतला शाखा कार्यालय, आइजॉल शाखा कार्यालय, दीमापुर शाखा कार्यालय, गंगटोक शाखा कार्यालय, गुवाहाटी शाखा कार्यालय, इम्फाल शाखा कार्यालय, ईटानगर शाखा कार्यालय, कोलकाता शाखा कार्यालय, शिलांग शाखा कार्यालय

## हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

भुवनेश्वर शाखा कार्यालय, हैदराबाद शाखा कार्यालय, रायपुर शाखा कार्यालय, विजयवाड़ा शाखा कार्यालय, विशाखपट्टणम शाखा कार्यालय

## जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

भीलवाड़ा शाखा कार्यालय, भिवाडी शाखा कार्यालय, जयपुर शाखा कार्यालय, जोधपुर शाखा कार्यालय, किशनगढ़ शाखा कार्यालय, सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र शाखा कार्यालय, उदयपुर शाखा कार्यालय, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र शाखा कार्यालय

## लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय

कानपुर शाखा कार्यालय, नोएडा शाखा कार्यालय, पटना शाखा कार्यालय, प्रयागराज वि.शा.का., रांची शाखा कार्यालय, वाराणसी शाखा कार्यालय

## नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

बहादुरगढ़ शाखा कार्यालय, बल्लभगढ़ शाखा कार्यालय, भोपाल शाखा कार्यालय, देहरादून शाखा कार्यालय, फरीदाबाद शाखा कार्यालय, गुरुग्राम शाखा कार्यालय, हरिद्वार शाखा कार्यालय, कुंडली शाखा कार्यालय, नई दिल्ली शाखा कार्यालय, रुद्रपुर शाखा कार्यालय

## पुणे क्षेत्रीय कार्यालय

औरंगाबाद शाखा कार्यालय, चिंचवड़ शाखा कार्यालय, इंदौर शाखा कार्यालय, कोल्हापुर शाखा कार्यालय, नागपुर शाखा कार्यालय, नासिक शाखा कार्यालय, पुणे शाखा कार्यालय, ठाणे शाखा कार्यालय, वसई शाखा कार्यालय

## त्वरित ऋण सेवा केंद्र (ईएलएससी)

अहमदाबाद ईएलएससी, चेन्नै ईएलएससी, हैदराबाद ईएलएससी, मुंबई ईएलएससी, नई दिल्ली ईएलएससी, लखनऊ ईएलएससी

## विशिष्ट आस्ति वसूली शाखा (एसएआरबी)

चेन्नै एसएआरबी, मुंबई एसएआरबी, नई दिल्ली एसएआरबी

## आभार-ज्ञापन

भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त मूल्यवान सहयोग के लिए निदेशक-मंडल उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथ ही, विश्व बैंक समूह; जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका); डिपार्टमेंट फ़ॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफ़आइडी), यू.के.; क्रेडिटटांस्टाल्ट फर वीडराफबउ (केएफ़डब्ल्यू), जर्मनी; ड्यूश जेसेलशाफ्ट फ़र इंटरनेशनेल जुसमेनारबीट (जीआइजेड), जर्मनी; इंटरनेशनल फ़ंड फ़ॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफ़एडी), रोम; एजेंस फ्रैंकेज डि डेवलपमेंट (एएफ़डी), फ्रांस तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से प्राप्त संसाधन सहायता और तकनीकी सहयोग के लिए निदेशक-मंडल उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। बैंकों, राज्य स्तरीय संस्थाओं, उद्योग संघों तथा एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन और विकास में लगे अन्य हितधारकों से प्राप्त सहयोग के लिए निदेशक-मंडल उनकी भी सराहना करता है।

बैंक अपने सभी ग्राहकों और निवेशकों को भी, उनसे प्राप्त सहयोग के लिए धन्यवाद देता है और आने वाले वर्षों में उनसे अनवरत सहयोग की आकांक्षा करता है। वर्ष-पर्यंत, बैंक को उच्चतर विकास-पथ पर आगे बढ़ाने में प्रबल एवं अनवरत प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा और समर्पण भावना से जुटे रहने वाले सिडबी के प्रत्येक स्तर के स्टाफ़-सदस्यों की सेवाओं के लिए निदेशक-मंडल उनकी प्रशंसा करता है।

सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

www.sidbi.in | @sidbiofficial SidbiOfficial SidbiOfficial

Concept & Design
WYATTPrism COMMUNICATIONS (info@wyatt.co.in)